



बीओआई

वार्ता

बैंक ऑफ़ इंडिया की तिमाही हिन्दी गृहपत्रिका
सितंबर, 2024



भाषां विशेषांक



बैंक ऑफ़ इंडिया

रिश्तों की जमापूँजी

भाषाएँ अनुभवों को अभिव्यक्ति देने वाले उपकरण मात्र से अधिक उनको निर्धारित करने वाला मूल तत्व होती हैं।

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार



दिनांक 14.09.2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्थान की श्रेणी में राजभाषा कीर्ति (तृतीय) पुरस्कार माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी के कर-कमलों से प्राप्त करते हुए बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री अभिजीत बोस।



भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग से प्राप्त राजभाषा कीर्ति (तृतीय) पुरस्कार माननीय प्रबंध निदेशक एवं सीईओ महोदय को सौंपते हुए राजभाषा विभाग प्रधान कार्यालय की टीम।

विषय-सूची

मुख्य संरक्षक

श्री रजनीश कर्नाटक

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

संरक्षक

श्री राजीव मिश्रा

कार्यपालक निदेशक

मार्गदर्शक

श्री अभिजीत बोस

मुख्य महाप्रबंधक

प्रधान संपादक

श्री विश्वजित मिश्र

महाप्रबंधक

उप प्रधान संपादक

सुश्री मऊ मैत्रा

सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)

संपादक मंडल

श्री अमरीश कुमार, मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)

श्री राजेश यादव, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)

श्री सचिन यादव, प्रबंधक (राजभाषा)

श्री परवेश कुंडू, प्रबंधक (राजभाषा)

श्री दिव्यांश मिश्र, अधिकारी (राजभाषा)

यह आवश्यक नहीं कि पत्रिका में
छपे लेखों में व्यक्त विचार बैंक के हों।

प्रधान संपादक,
बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय,
राजभाषा विभाग, स्टार हाउस, जी-5, जी ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व)
मुंबई - 400 051

अपने विभाग को जानिए : सूचना सुरक्षा कक्ष:
बैंक में साइबर सुरक्षा उपायों का जांच केंद्र 07

‘भाषा’ एक अमूल्य धरोहर 10

मुंशी - आयंगर फॉर्मूला 13

अतुल्य भारत में अपनी भाषा का योगदान 14

राजभाषा हिन्दी और ग्राहक सेवा 17

तमिलनाडु में हिन्दी भाषा के बढ़ते कदम 19

कविताएं 21



चित्र काव्य प्रतियोगिता 24



पुस्तक समीक्षा - “प्रतिनिधि व्यंग्य” 25

हिन्दी की बढ़ती लोकप्रियता - 27

विश्व में भारत के बढ़ते प्रभुत्व का प्रमाण

धरोहर - पुरी का जगन्नाथ मंदिर 30



आधुनिक इतिहासकारों के दृष्टिकोण से 32

रामायण का विवेचन

बैंक परिसर स्थानांतरण में सुरक्षा पहलू और सिक्क्योरिटी 34

गैजेट्स की स्थापना: एक विश्लेषण

अंचलों में हिन्दी माह 2024 का आयोजन 37

नई दिल्ली अंचल द्वारा अखिल भारतीय राजभाषा संगोष्ठी का
आयोजन 41



प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश



प्रिय साथियो,

‘राजभाषा हिन्दी’ को समर्पित बीओआई वार्ता के इस नवीन अंक के माध्यम से आप सभी से संवाद करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। हिन्दी हमारे राष्ट्र के जन-गण-मन को अभिव्यक्ति देने वाली भाषा है। जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने अपने संदेश में भी कहा है कि हिन्दी सहित सभी भारतीय भाषाएँ हमारे भारत की अस्मिता का प्रतीक हैं और हिन्दी एवं भारतीय भाषाओं के माध्यम से जन-जन तक संवाद स्थापित करते हुए राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसलिए भारत के जन-जन की अपेक्षाओं को प्राथमिकता देते हुए हम अपने उत्पादों एवं सेवाओं को अधिकतर भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करा रहे हैं। हमारी वेबसाइट सहित मोबाइल बैंकिंग एवं इंटरनेट बैंकिंग में क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है। राजभाषा के कार्यान्वयन में हमारे बैंक ने उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन करते हुए आठ सौ से अधिक स्टाफ वाले बैंकों के प्रधान कार्यालयों की श्रेणी में कीर्ति पुरस्कार - ‘तृतीय स्थान’ प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के लिए मैं राजभाषा विभाग सहित बैंक के सभी स्टाफ सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ।

वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही कई मायनों में महत्वपूर्ण रही है। विशेष रूप से इस तिमाही में हमारा निवल लाभ एवं परिचालन लाभ बैंक के आज तक के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ रहा है। हमारा बैंक, सभी प्रमुख मापदंडों पर मजबूती के साथ उत्कृष्ट कार्य निष्पादन कर रहा है। इसके लिए आप सभी को बधाई देते हुए, मैं आपकी कड़ी मेहनत, समर्पण और उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध होने की सराहना करता हूँ। इस तिमाही के दौरान बैंक के 119वें स्थापना दिवस को हमने अपनी साहसी एवं समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को याद करते हुए हर्षोल्लास के साथ मनाया तथा संस्थान की नींव को और मजबूत करते हुए बैंक के कुल कारोबार को 13.97 लाख करोड़ की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसलिए आज जब हम बैंकिंग सेवाओं का विस्तार देश के कोने-कोने तक कर रहे हैं तो हमें स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी सेवाओं को कस्टमाइज़ करने की आवश्यकता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति में हिन्दी एवं स्थानीय भाषाएँ ही हमारी सहायक हो सकती हैं। इसलिए हमें अपने तैनाती के स्थान के अनुसार स्थानीय भाषा के ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए, जिससे न केवल हमारा व्यक्तिगत कौशल विकास होगा अपितु हम ग्राहकों को उनकी भाषाओं में सेवाएँ दे पाने में सक्षम होंगे।

गृह पत्रिकाएँ किसी भी संस्था की संस्कृति एवं परंपराओं को प्रसारित करने वाली वाहिकाएँ होती हैं। इसलिए आप अपने अनुभवजनित विचारों एवं अंतर्दृष्टियों को ‘बीओआई वार्ता’ के माध्यम से साझा करते रहें। इस पत्रिका में छपे लेखों को लिखने वाले प्रतिभा सम्पन्न स्टाफ सदस्यों की सराहना करते हुए, मैं आग्रह करता हूँ कि हमारे बैंक के समस्त स्टाफ सदस्य अपने स्तर पर ग्राहक उन्मुख बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

शुभकामनाओं सहित,

भवदीय,

(रजनीश कर्नाटक)



कार्यपालक निदेशक का संदेश



प्रिय साथियो,

“बीओआई वार्ता” के इस नवीनतम ‘भाषा विशेषांक’ के माध्यम से आपसे पुनः संवाद करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही राजभाषा हिन्दी में कामकाज की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। हमेशा की तरह इस वर्ष भी हमारे सभी कार्यालयों एवं शाखाओं में हिन्दी माह के दौरान हिन्दी प्रतियोगिताओं एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस बार 800 से अधिक कार्मिकों वाले बैंकों के प्रधान कार्यालय की श्रेणी में हमारे प्रधान कार्यालय को राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला ‘राजभाषा कीर्ति पुरस्कार’, ‘तृतीय’ प्राप्त हुआ। राजभाषा विभाग सहित बैंक के समस्त कर्मचारी इस उपलब्धि के लिए बधाई के पात्र हैं। मेरे विचार से आप सभी को अब अपने प्रयासों में गति लाते हुए अगले वर्ष के पुरस्कारों में हमारे बैंक को प्रथम स्थान पर लाने का प्रयत्न करना चाहिए।

बैंकिंग कारोबार की दृष्टि से मौजूदा वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के परिणामों के बारे में हमारे प्रबंध निदेशक एवं सीईओ महोदय का संदेश हमारे लिए प्रेरणास्पद है। हमने न केवल कारोबार-मिक्स के उच्चतम आंकड़ों को छुआ है, अपितु लाभप्रदता एवं आस्ति गुणवत्ता में भी उत्कृष्ट कार्यानिष्ठादन किया है। हमारे नेतृत्व एवं सभी स्टाफ सदस्यों ने अपने उत्तम श्रम कौशल का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बाज़ार में हमारी साख को और अधिक मजबूत किया है। यह स्पष्ट है कि हम कारोबार वृद्धि के मार्ग पर सही दिशा में प्रशस्त हो चुके हैं, इस वित्तीय वर्ष को बैंक के सर्वोत्कृष्ट कार्यानिष्ठादन वाला वर्ष साबित करने के लिए अब बस हमें अपने प्रयासों की गति बढ़ाने की जरूरत है।

पूर्व से परिपूर्ण सितंबर 2024 तिमाही के दौरान हमने हिन्दी दिवस, स्वतंत्रता दिवस, बैंक का स्थापना दिवस, गणेश चतुर्थी और ईद जैसे महत्वपूर्ण उत्सवों को धूमधाम से मनाया है। ‘बीओआई वार्ता’ के इस ‘भाषा विशेषांक’ में लिखने वाले स्टाफ सदस्यों ने हमारे सामाजिक एवं कामकाजी जीवन में भाषा, विशेषकर राजभाषा एवं मातृभाषा के महत्व पर अपने विचार साझा किए हैं। बैंकिंग कामकाज में स्वदेशी भाषाओं के कार्यान्वयन के मामले में हमारा बैंक अग्रणी है। हम सभी डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर अधिकतम स्वदेशी भाषाओं के चयन का विकल्प उपलब्ध करवाकर ग्राहकों के साथ ‘रिश्तों की जमापूजी’ में वृद्धि करने को प्रयासरत हैं। मैं अगली तिमाही में सभी लक्ष्यों की प्राप्ति की उम्मीद करते हुए आपको शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

भवदीय,

(राजीव मिश्रा)



प्रधान संपादक की कलम से



प्रिय साथियो,

बैंक की हिन्दी गृह पत्रिका “बीओआई वार्ता” का सितंबर 2024 तिमाही का यह भाषा विशेषांक पाठकों को समर्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। हमारे बैंक में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिन्दी दिवस एवं इस दौरान अनेक कार्यक्रमों के साथ हिन्दी माह का आयोजन किया जाता है, इसलिए इस अंक को भाषा विशेषांक के तौर पर प्रकाशित किया जाना समीचीन है। भाषा के संबंध में इतिहास के महानतम शास्त्रज्ञाता कौटिल्य के ग्रंथ ‘अर्थशास्त्र’ से उद्धृत एक श्लोक का उल्लेख यहां वांछनीय है,

“न भाषा समं शक्तिम् न भाषाश्च विशेषतः।

यस्तु भाषायामेतां व्याहरन्ति स न यः ॥”

इस श्लोक में भाषा के महत्व को उजागर करते हुए कहा गया है कि समाज में लोगों द्वारा परस्पर सभी प्रकार के संव्यवहारों के घटित होने के लिए सबसे शक्तिशाली एवं विशिष्ट रूप से आवश्यक माध्यम भाषा ही है। यह वह विशेष शक्ति है जो समाज के प्रत्येक सदस्य को जोड़ने का कार्य करती है और समाज के समग्र विकास में योगदान देती है। अतः इस अंक में हमने स्थायी स्तंभों के अलावा भाषा मुख्यतः राजभाषा से संबंधित लेखों को विशेष रूप से समाहित किया है। देश, समाज एवं संस्कृति के विकास में भाषा के महत्व पर सुश्री मऊ मैत्रा के लेख ‘भाषाएं-हमारी अमूल्य धरोहर’, डॉ. पीयूष राज के लेख ‘अतुल्य भारत में अपनी भाषा का योगदान’ और बैंकिंग सेवाओं में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग पर श्री सुदीप सैनी के लेख ‘राजभाषा हिन्दी और ग्राहक सेवा’ सहित इस अंक की सभी रचनाओं के माध्यम से हमारा प्रयास है कि पाठकों को रोचक, उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक विषयवस्तु परोसी जाए।

अनुभवी स्टाफ सदस्यों की रचनाएँ एवं पाठकों की प्रतिक्रियाएँ संपादकीय टीम के परिश्रम के पारितोषिक स्वरूप होती हैं तथा अगले अंक के प्रकाशन में और अधिक लगन से कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व का सहयोग और मार्गदर्शन ही हमारा ऊर्जास्रोत है। इस अंक के विषय में आपकी प्रतिक्रिया पाने की अभिलाषा में..

भवदीय,

बिश्वजित मिश्र

(बिश्वजित मिश्र)

महाप्रबंधक

सूचना सुरक्षा कक्ष: बैंक में साइबर सुरक्षा उपायों का जांच केंद्र



कुलदीप पाल
उप महाप्रबंधक
सूचना सुरक्षा कक्ष

सूचना सुरक्षा कक्ष जोखिम प्रबंधन विभाग का अहम अंग है। इसका नेतृत्व मुख्य जोखिम प्रबंधक के मार्गदर्शन में उप महाप्रबंधक द्वारा किया जाता है। सूचना सुरक्षा सेल की भूमिका अनधिकृत पहुँच, डेटा उल्लंघनों और धोखाधड़ी से बचाने के लिए उपाय करना है, जिससे भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है और बैंक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचता है। नियामक मानकों को पूरा करने और विकसित हो रहे साइबर खतरों से बचाव करके ग्राहक विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रभावी साइबर सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं। जैसे-जैसे तकनीक पर हमारी निर्भरता बढ़ती है, वैसे-वैसे खतरे भी बढ़ते हैं। साइबर सुरक्षा संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा करती है, प्रणाली की अखंडता को सुनिश्चित करती है और ऐसे व्यवधानों को रोकती है जिनसे व्यक्तियों, व्यवसायों और यहाँ तक कि राष्ट्रों के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न उभरते खतरों को देखते हुए, बैंक ने ग्राहक डेटा और वित्तीय लेनदेन की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक साइबर रणनीति विकसित की है। बैंक की साइबर रणनीति में शामिल कुछ प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं:

1. जोखिम मूल्यांकन: बैंक अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा के लिए संभावित खतरों की पहचान करने के लिए नियमित रूप से जोखिम मूल्यांकन कर रहा है। इसमें सिस्टम में कमजोरियों की पहचान करना, साइबर हमले के संभावित प्रभाव का आकलन करना और बैंक के लिए सर्वाधिक संभावित खतरों की पहचान करना शामिल है।

2. सुरक्षा उपाय: बैंक के सिस्टम और डेटा की सुरक्षा के लिए प्रभावी सुरक्षा उपायों को लागू करना महत्वपूर्ण है। बैंक ने आईटी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, डेटा लीकेज की रोकथाम, एक्सेस

कंट्रोल, एन्क्रिप्शन और मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, नेटवर्क और उपयोगकर्ता व्यवहार में असामान्यताओं की पहचान, 24X7 सुरक्षा अलर्ट की निगरानी के लिए सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) आदि के लिए सुरक्षा समाधान लागू किए हैं।

3. घटना प्रतिक्रिया योजना: बैंक ने साइबर हमले की स्थिति में नुकसान को कम करने के लिए घटना प्रतिक्रिया योजना बनाई है। बैंक की साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) में हमले को रोकने, उल्लंघन के स्रोत की पहचान करने और प्रभावित आंतरिक और बाहरी हितधारकों को सूचित करने के लिए कदम शामिल हैं।

4. कर्मचारी प्रशिक्षण: हम बैंक के सभी कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि मानवीय भूल के जोखिम को कम किया जा सके। इसमें फ़िशिंग घोटालों की पहचान करने और उनसे बचने, पासवर्ड प्रबंधन और सुरक्षित ब्राउज़िंग अभ्यासों के बारे में प्रशिक्षण शामिल है।

5. अनुपालन: बैंक डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा से संबंधित कई तरह के नियमों के अधीन है। कानूनी दंड और प्रतिष्ठा को होने वाले नुकसान से बचने के लिए इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया गया है।

6. निरंतर निगरानी: साइबर खतरे लगातार विकसित हो रहे हैं, इसलिए संभावित खतरों और कमजोरियों के लिए बैंक के आईटी सिस्टम की निरंतर निगरानी करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम नियमित रूप से भेद्यता स्कैन, पैठ परीक्षण, खतरे की खोज आदि कर रहे हैं।

बैंक ऑफ इंडिया सभी नवीनतम तकनीक और सर्वोत्तम साइबर सुरक्षा प्रथाओं से पूरी तरह सुसज्जित है। हमारे बैंक में

सूचना सुरक्षा सेल का नेतृत्व डीजीएम और सीआईएसओ करते हैं, जो सीजीएम जोखिम प्रबंधन विभाग और ग्रुप सीआरओ के माध्यम से कार्यपालक निदेशक को रिपोर्ट करते हैं। बैंक की साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने और बढ़ाने के लिए, विभिन्न सुरक्षा उपाय किए जाते हैं और बैंकिंग परिवेश में सुरक्षा समाधान लागू किए जाते हैं।

1. बैंक के पास संपूर्ण आईटी अवसंरचना से एकत्रित लॉग के आधार पर उद्यम सूचना प्रणालियों (वेबसाइट, अनुप्रयोग, डेटाबेस, सर्वर, नेटवर्क, डेस्कटॉप और अन्य समापन बिंदु) की निगरानी के लिए सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) है।

2. सभी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित अनुप्रयोगों और आंतरिक आईटी अवसंरचना की 24x7 निगरानी।

3. एनबीएडी समाधान - यह समाधान असामान्य घटनाओं या प्रवृत्तियों के लिए नेटवर्क की निरंतर निगरानी द्वारा नेटवर्क सुरक्षा खतरे का पता लगाने की सुविधा प्रदान करता है।

4. एंटी-एपीटी समाधान - यह समाधान ई-मेल और प्रॉक्सी गेटवे पर ट्रैफिक की निगरानी करता है ताकि किसी भी एपीटी हमले का पता लगाया जा सके। यह स्पैम मेल नियंत्रण में भी हमारी मदद करता है।

5. डीडीओएस सुरक्षा समाधान - यह ऑनसाइट समाधान एंटी- डीओएस, नेटवर्क व्यवहार विश्लेषण और एसएसएल हमले शमन सुविधाओं से सुसज्जित है, यह नेटवर्क परत और सर्वर आधारित हमलों को संभालने के लिए बहु-वेक्टर हमले का पता लगाने और शमन क्षमताओं के साथ डीडीओएस हमलों को संभालने के लिए एक एकीकृत प्रणाली है।

6. एंडपॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉंस (ईडीआर) - यह सॉफ्टवेयर संगठन के अंतिम उपयोगकर्ताओं, एंडपॉइंट डिवाइसों और आईटी परिसंपत्तियों को साइबर खतरों से स्वचालित रूप से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और अन्य पारंपरिक एंडपॉइंट सुरक्षा उपकरणों को पार कर जाते हैं।

7. एंटी-फ़िशिंग, मैलवेयर मॉनिटरिंग सेवाएँ - हमने एंटी-फ़िशिंग एंटी-मैलवेयर अलर्ट के लिए सदस्यता ले ली है। यह हमें

कॉर्पोरेट ब्रांड मॉनिटरिंग और बैंक या उसके ग्राहकों के खिलाफ इंटरनेट पर धोखाधड़ी की गतिविधियों का पता लगाने में मदद करता है। हमें ऐप स्टोर पर अपलोड किए गए रूज ऐप्स पर भी अलर्ट मिलते हैं।

8. आंतरिक और बाह्य वीए/पीटी तथा वेब एप्लीकेशन ऑडिट - हमारे सभी सर्वर तिमाही वीए/पीटी अभ्यास के अधीन हैं तथा सभी सार्वजनिक रूप से उजागर वेब एप्लीकेशन विशेषज्ञों द्वारा तिमाही ऑडिट अभ्यास से गुजर रहे हैं। पहचानी गई कमजोरियों को समयबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाता है तथा विभिन्न प्रबंधन बैठकों में अनुपालन स्थिति की रिपोर्ट की जाती है।

9. हम नियमित रूप से स्टाफ सदस्यों के लिए फ़िशिंग परीक्षण अभ्यास आयोजित करते हैं। हमारे ईलर्निंग मॉड्यूल में स्टाफ प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए सूचना/ साइबर सुरक्षा, व्यवसाय निरंतरता योजना आदि पर पाठ्यक्रम हैं। हम सुरक्षित उपयोग प्रथाओं पर ग्राहकों की जागरूकता के लिए नियमित रूप से ईमेल/ एसएमएस भेजते हैं।

10. किसी भी एप्लीकेशन/उत्पाद को शुरू करने से पहले सुरक्षा समीक्षा की जाती है और उत्पादन की आवाजाही के लिए सुरक्षा मंजूरी प्रदान करने से पहले लागू सुरक्षा नियंत्रणों को मान्य किया जाता है। यह किसी भी नए उत्पाद या एप्लीकेशन में बड़े बदलाव पर लागू होता है।

11. सभी महत्वपूर्ण प्रणालियों तक पीआईएम समाधान के माध्यम से पहुँच जाता है। सभी महत्वपूर्ण संपत्तियों की निगरानी किसी भी सुरक्षा खतरे के लिए एसआईएम उपकरणों के तहत की जाती है।

12. डेटा लीक रोकथाम समाधान (डीएलपी): डेटा लीक रोकथाम समाधान (डीएलपी) संभावित डेटा उल्लंघनों का पता लगाता है और उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने के दौरान, गतिशील (नेटवर्क ट्रैफिक) और आराम (डेटा संग्रहण) के दौरान संवेदनशील डेटा की निगरानी करके इसे रोकता है। यह समाधान अलर्ट उत्पन्न करता है और किसी भी अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा कॉर्पोरेट नेटवर्क के बाहर संवेदनशील या महत्वपूर्ण जानकारी भेजे जाने पर रोक लगाता है।

13. सर्वर सुरक्षा समाधान: यह समाधान बैंक के सर्वर के लिए विशेष एंटी-वायरस समाधान है। यह बैंक को ज्ञात और साथ ही नए जीरो-डे हमलों से सुरक्षित करता है।

14. टीआईपी (थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म): उभरते खतरों की पहचान करने, उन्हें प्राथमिकता देने और उनका जवाब देने के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त खतरे की खुफिया जानकारी को केंद्रीकृत और विश्लेषित करता है।

15. एएसएम (अटैक सरफेस मैनेजमेंट): बैंक की बाह्य आक्रमण सतह, जिसमें आईपी पते, वेबसाइट, क्लाउड वातावरण और उजागर सेवाएं शामिल हैं, की निरंतर निगरानी और आकलन करने के लिए, ताकि हमलावरों द्वारा उनका फायदा उठाने से पहले कमजोरियों की पहचान की जा सके और उन्हें कम किया जा सके।

16. बीएस (उल्लंघन और आक्रमण सिमुलेशन): उभरते खतरों के खिलाफ तैयारी और लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के सुरक्षा नियंत्रण और घटना प्रतिक्रिया तंत्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए वास्तविक दुनिया के आक्रमण परिदृश्यों का अनुकरण करना।

17. एसओएआर (सिक्वोरिटी ऑर्केस्ट्रेशन, ऑटोमेशन, एंड रिस्पॉन्स): विभिन्न प्रणालियों में सुरक्षा घटनाओं के प्रति प्रतिक्रियाओं के स्वचालन और समन्वय के लिए, उपकरणों को एकीकृत करके और दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करके घटना प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं को कारगर बनाना।

18. नेटवर्क, अंतर्बिंदुओं और अनुप्रयोगों से खतरों के समग्र मिलान के लिए एक्सडीआर.

19. बैंक ने अधिक सक्रिय और स्वचालित तरीके से जटिल साइबर खतरों का पता लगाने, उनका जवाब देने और उन्हें कम करने की अपनी क्षमता में उल्लेखनीय सुधार किया है, जिससे दृश्यता, स्वचालन और समग्र सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है।

हमारा निरंतर प्रयास है कि हम ग्राहकों और सभी हितधारकों को साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवीनतम साइबर खतरों और सावधानियों पर जानकारी प्रदान करें। ग्राहकों के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं।

1. ग्राहक जागरूकता अभियान कई चैनलों जैसे एसएमएस, मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से चलाए जाते हैं।

2. साइबर सुरक्षा पर अद्यतन जानकारी साझा करने के लिए बैंक की वेबसाइट पर एक समर्पित पेज “सुरक्षित बैंकिंग” विकसित किया गया है।

3. अलर्ट: टैगलाइन के तहत ई-मेल: “साइबर जागरूक बनें” सभी ग्राहकों को मासिक रूप से भेजा जा रहा है।

4. बैंक ने साइबर जागरूकता दिवस मनाया और निर्णय लिया कि पहले बुधवार को सोशल मीडिया साइटों पर साइबर धोखाधड़ी के तौर-तरीकों और सावधानियों के बारे में जानकारी साझा की जाएगी।

5. ग्राहकों, बीसी और डीएसए को भारत सरकार के साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in और क्षेत्रों में साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में भी जागरूक किया गया है।

6. स्टैंडी और पोस्टर शाखाओं, एटीएम और अन्य कार्यनीतिक स्थानों पर एवं डिजिटल होर्डिंग्स बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

7. एक विशेष कार्यक्रम साइबर सुरक्षित भारत की ओर एक कदम का आयोजन किया गया जिसमें शीर्ष प्रबंधन सहित बैंक के 7000 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। हैंडआउट्स, मैनुअल वितरित किए गए और सभी कर्मचारियों द्वारा साइबर सुरक्षा हेतु शपथ ली गई।

8. ई-मैनुअल ‘बीओआई साइबर स्टार’ प्रकाशित किया गया है तथा बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कोई भी व्यक्ति हमारी वेबसाइट के शिकायत अनुभाग में साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट कर सकता है। भारत सरकार का पोर्टल: www.cybercrime.gov.in या 1930 पर कॉल करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएँ: <https://bankofindia.co.in/safe-banking>

सतर्क रहें! साइबर धोखाधड़ी को रोकें!

‘भाषा’ एक अमूल्य धरोहर



मऊ मैत्रा
सहायक महाप्रबंधक (रा. भा.)
प्रधान कार्यालय

अमेरिकी भाषा विज्ञानी नोम चोमस्की का कहना है कि भाषा केवल शब्दों का जाल मात्र नहीं अपितु यह संस्कृति, परंपराओं, सामाजिक एकजुटता और सभ्यता के निर्माण का इतिहास है। भाषा अपने आप में स्वच्छंद सृजन की प्रक्रिया है, कायदों-कानूनों का दायरा तो सीमित होता है लेकिन पीढ़ियों के निर्माण की प्रक्रिया में जो कायदे गढ़े गए वो बंधनों से परे और विभिन्नताओं से सजे हुए थे, हमारी भाषाओं का इतिहास और उनका साहित्य इसका प्रमाण है जहां बोलियों में भिन्नता होते हुए भी भाषिक समरसता प्रत्यक्ष है।

हमारा भारत ना केवल विविधताओं से भरा हुआ है, बल्कि यह अपनी संस्कृति, परंपराओं एवं भाषिक विविधता के लिए सम्पूर्ण विश्व में अपनी एक अलग और खास पहचान रखता है। इन सभी विशेषताओं को अगर हम हमारे देश की धरोहर कहें तो यह बिलकुल भी गलत नहीं होगा। “धरोहर” अर्थात् विरासत में मिली समृद्धि, अर्थात् एक ऐसी विरासत जो भावी पीढ़ियों को इस विश्वास के साथ दी जाती है कि जब भी कठिन परिस्थितियों में उसकी आवश्यकता हो तो सहजतापूर्वक उपयोग किया जा सके और हिंदी भाषा ने अंग्रेज़ी की गुलामी से देश को आज़ाद कराने में जो भूमिका निभाई वह हिन्दी को धरोहर के रूप में सुसज्जित करती है। स्वतंत्रता संग्राम में हिन्दी ही वह डोर बनी जो हमारी संस्कृति एवं परम्पराओं को संरक्षित करते हुए पूरे देश को एकसूत्र में बांधने में सफल हो पाई, क्योंकि भाषा माध्यम है जुड़ाव का, भावनाओं की अभिव्यक्ति का और संस्कृति के बहाव का।

हिन्दी का आधुनिक रूप प्राचीन भारतीय भाषाओं संस्कृत, पालि, प्राकृत अपभ्रंश से निकला है। काल समय एवं परिस्थितियों के अनुसार समाज एवं संस्कृतियों के स्वरूप में जैसे जैसे बदलाव हुआ, भाषा ने भी उसी के अनुरूप ढलने का क्रम अपनाया और साहित्य सृजन के जरिए उस कालखंड की स्मृतियों को संजोने का दायित्व निभाया है। चाहे विलासी राजाओं के वैभवशाली एवं प्रेम

आसक्त जीवन पर रचित काव्य का रीतिकाल रहा हो या जागरण काल में बह रही भक्ति की धारा में रमे कवियों का भक्तिकाल, या फिर अंग्रेज़ी की गुलामी से मुक्ति के लिए आधुनिक हिन्दी ने प्रेमचंद और भारतेन्दु युग में अपना क्रांतिकारी भेष धारण किया हो, या फिर छायावाद, मुक्तिबोध के दौर से गुजरते हुए आज दर्शन एवं आधुनिक विमर्श के हस्ताक्षर स्वरूप यहाँ पहुंची हो। मध्यकालीन युग में नवजागरण काल से लेकर अंग्रेज़ी राज में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो संघर्ष हिन्दी ने किया, वो संघर्ष आज भी जारी है, फर्क बस इतना है कि उस समय सत्ता प्रत्यक्ष रूप से हिन्दी का दमन कर रही थी और अब पाश्चात्य अंधानुकरण के कारण अंग्रेज़ीयत हावी हो चुकी है। तथापि स्वतंत्रता के बाद जब 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एकमत से निर्णय लिया गया कि ‘हिन्दी’ जो खड़ी बोली का विकसित स्वरूप है, वही भारत की राजभाषा होगी। उस वक्त हिन्दी को एक नई पहचान “राजभाषा के रूप में” प्राप्त हुई, हालांकि यह पहचान समृद्ध साहित्य वाली हिन्दी से इतर हिन्दी के प्रशासनिक भाषा वाले रूप को प्रधानता देती है। धीरे-धीरे हिन्दी का प्रचलन सरकारी कामकाज के माध्यम से बढ़ना प्रारम्भ हुआ और इस वर्ष जब हम राजभाषा ‘हिन्दी’ का हीरक जयंती वर्ष मना रहें हैं, तब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, साक्षर से निरक्षर तक, आज प्रत्येक वर्ग हिन्दी न केवल बोल सकता है बल्कि समझ भी सकता है और समझा भी सकता है।

पिछली कुछ शताब्दियों में भारतीय उपमहाद्वीप पर विदेशी शासन के दौर में काफी हद तक अंग्रेज़ी ने हमारे देश को बौद्धिक रूप से भी परतंत्र बना दिया था, अपने एक निबंध में प्रसिद्ध भारतीय दर्शनशास्त्री श्री के.सी. भट्टाचार्य लिखते हैं कि हमारे लिए राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ बौद्धिक स्वतंत्रता भी आवश्यक है, यह विचारों, संस्कृतियों, परम्पराओं और स्वच्छंद ढंग से सोच-विचार करने की आज़ादी होती है जो किसी भी राष्ट्र की अपनी पहचान को परिभाषित करने और उस राष्ट्र के नागरिकों को आत्म-अभिव्यक्ति के लिए अवसर उपलब्ध करवाती है। वे कहते हैं कि उपनिवेशवाद केवल आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण तक सीमित नहीं था, उसने स्थानीय लोगों के मन-मस्तिष्क को भी प्रभावित किया और स्थानीय वैचारिक स्वच्छंदता को दबा दिया, जिससे लोग विदेशी अवधारणाओं को अपनाकर अपनी सांस्कृतिक जड़ों से दूर होने लगे। तथापि आज नई शिक्षा नीति के माध्यम से स्कूलों, महाविद्यालयों तथा अन्य कई संस्थानों में अंग्रेज़ी की बजाय स्वदेशी भाषाओं को वरीयता दी जा रही है। हिन्दी भारत की धरोहर है इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है क्योंकि एक लंबे समय से हम हिन्दी का उपयोग करते आ रहे हैं, हिन्दी का उद्भव संस्कृत से हुआ है और यह एक इंडो आर्य भाषा है। हिन्दी के विकास के साथ ही वेदों, उपनिषदों, और महाभारत जैसे अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत से स्वदेशी भाषाओं, मुख्यतः हिन्दी में अनुवाद किए गए, जो भारत की धार्मिकता और सांस्कृतिकता का परिचायक है। के.सी. भट्टाचार्य का कथन है-

“स्वतंत्रता से तात्पर्य सही मायनों में आध्यात्मिक रूप से आत्मनिर्भर होना है, अपने मूल विचारों को पनपने देना, अपनी मौलिक भावनाओं को महसूस करना और अपने मूलभूत उद्देश्यों की कामना करना, लेकिन जब कोई विदेशी माहौल हावी हो जाता है तो वह इसमें एक अवरोध बन जाता है, एक प्रकार की अदृश्य कैद जैसा और इसका सबसे बड़ा जोखिम यह है कि यह पारदर्शी ढंग से पीढ़ी दर पीढ़ी मानसिक परतंत्रता को कायम रखता है।”

हिन्दी का महत्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से भी

बढ़ा, जब विभाजन और असहमति के बावजूद, हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के प्रयास हुए। गांधीजी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने हिन्दी का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया और इसका समर्थन भी किया। उस समय के बुद्धिजीवियों का मत था कि हमारे देश को उपनिवेशवाद की मानसिकता से पूर्णतः मुक्त होने के लिए स्वदेशी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाकर देश की एकता और अखंडता का सूत्रधार बनाना चाहिए। भारतीयों के लिए अपने ज्ञान और मूल्यों के प्रति एक स्वायत्त दृष्टिकोण अपनाने में स्वदेशी भाषा का योगदान अपरिहार्य है। हिन्दी भाषा, विविधता और रंगमंच का एक अद्भुत संगम है जो संस्कृति, साहित्य, संगीत और विभिन्न कलाओं के माध्यम से हमारे जीवन को सुंदर बनाती है। हिन्दी की साहित्यिक धरोहर में गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मुंशी प्रेमचंद, और महादेवी वर्मा जैसे न जाने कितने महारत्न हैं जिन्होंने हिन्दी को जन-जन तक पहुँचाया और हिन्दी को भावनाओं से जोड़ दिया। अतः इसी का प्रतिफल है कि आज हिन्दी भारत के कोने-कोने में बसी है।

लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल हिन्दी दिवस के अवसर या राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर ही हम हिन्दी कहें, बोले और ओढ़ें। बल्कि होना तो यह चाहिए कि हम प्रतिदिन हिन्दी उतने ही गर्व के साथ बोले जितनी हिन्दी दिवस के अवसर पर बोलते हैं। एक हिंदुस्तानी को अपनी मातृभाषा के साथ-साथ कम से कम एक और स्वदेशी भाषा सीखनी चाहिए अर्थात् हिन्दी भाषा को कोई अन्य देशी भाषा और हिंदीतर भाषा को हिन्दी तो आनी ही चाहिए और केवल इतना ही नहीं बल्कि हिन्दी सहित सभी स्वदेशी भाषाओं का सम्मान भी करना सीखना चाहिए। ताकि हम देश के कोने-कोने में बिना हिचकिचाए आपसी संपर्क स्थापित कर सकें, हिन्दी को भी उतने ही विश्वास के साथ प्रयोग करें, जितने विश्वास और गर्व के साथ हम अंग्रेज़ी का प्रयोग करते हैं, ताकि हम अपनी धरोहर, अपनी भाषाओं, अपनी संस्कृति को बचाए रख सकें और उसका अस्तित्व बना रहे, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हिन्दी के कालजयी साहित्य से वंचित ना रह पाएँ या फिर उन्हें हिन्दी बोलने में शर्म महसूस ना हो।

हालांकि, हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने में कुछ चुनौतियाँ अवश्य हैं, जैसे, क्षेत्रीय विविधता और अंग्रेजी का बढ़ता प्रभाव। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद, हिन्दी भाषा के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हिन्दी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और यह भारतीय जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे सरकार, व्यवसाय, शिक्षा और मनोरंजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः दूसरी भाषा के रूप में हिन्दी को सीखना उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, जो भारत में काम करने की योजना बना रहे हैं। समय के साथ हमारे समाज एवं संस्कृति के बदलाव की गति में जो परिवर्तन आया है, हम उसके साक्षी हैं और आज का सोशल मीडिया/ डिजिटल दुनिया बहुत तेजी से मानव के आपसी संव्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं। इस दशा में हिन्दी अर्थात् आज की हिन्दी का भविष्य इसके उपयोगकर्ताओं के परिवेश में हो रहे बदलावों पर निर्भर करता है। हिन्दी का मौखिक स्वरूप, हिन्दी की अन्य बोलियों को शामिल करते हुए एक नए कलेवर में उभर कर सामने आ रहा है, इसमें खड़ी बोलियों, भोजपुरी, मुंबइया हिन्दी के लोकप्रिय शब्दों को लोगों ने दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है। हमारे राजनितिक माहौल में आए परिवर्तनों ने राजभाषा हिन्दी के कलेवर को धरातल की हिन्दी से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है, चाहे चुनावी भाषण हों या सरकारी योजनाओं/ नीतियों का नामकरण, प्रचार और कार्यान्वयन हो, उसने हिन्दी की प्रशासनिक शब्दावली को जन साधारण में प्रचलित करने में योगदान दिया है। माननीय गृह मंत्री जी के इस वर्ष के हिन्दी दिवसीय संबोधन में भी हिन्दी को सभी भारतीय भाषाओं के तत्वों का समावेश करते हुए जन-जन से संवाद की भाषा के रूप में प्रस्थापित करने का संकल्प दोहराया है। यदि हम आज के युग में सिनेमा/ मीडिया/ओटीटी/ब्लॉगिंग/ व्लोगिंग कंटेंट की बात करें तो वहाँ हिन्दी कंटेंट की लोकप्रियता और मांग इस बात का प्रमाण है कि हिन्दी का भविष्य उज्ज्वल एवं स्वर्णिम है। कवि सोम ठाकुर की पंक्तियाँ हैं

करते हैं तन-मन से वंदन,
जन-गण-मन की अभिलाषा का,
अभिनंदन अपनी संस्कृति का,
आराधन अपनी भाषा का।

ज़िंदगी से मुलाकात

ऐ ज़िंदगी अन्जाने ही सही, कभी राह में मिल,
तुझसे ढेर सारी बातें करनी हैं,
बचपन से सुना है कि तू बहुत खूबसूरत है,
बस, उस खूबसूरती का मतलब समझना है,
क्योंकि सुबह शाम की उलझनें हैं, तनाव है,
मझधार में हिचकोले खाती जीवन की नाव है,
मसरूफ़ियत में भी खालीपन का अहसास है,
भीड़ में होते हुए भी अकेलेपन का आभास है,
सब कुछ होते हुए भी कुछ खोने का डर-सा है,
बाहर की खुशियाँ भीतर समेटने का क्रम-सा है,
कहना तो बहुत कुछ है, सुनने, समझने वाला कोई नहीं,
भरोसा है कि कभी तो मुलाकात जरूर होगी,
थक-हार कर रुकनेवाला मैं भी नहीं,
कभी तो मिल, तुझसे अपना हिसाब करना है,
कब कहाँ क्या गलती हुई वो सब भी तो समझना है,
पर. . सच कहूँ तो ये सब तो तुझसे मिलने का बहाना है,
रोज़मर्रा की उलझनों में भी तू बहुत खूबसूरत है,
बस तुझे यही बताना है।

नीरज श्रीवास्तव
वरिष्ठ प्रबंधक
जेड कोड
नई दिल्ली अंचल



मुंशी - आयंगर फॉर्मूला

हम सभी जानते हैं कि भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से देवनागरी लिपि में हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। भारत इस वर्ष राजभाषा हीरक जयंती वर्ष मना रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना में बताया गया था कि देश की कुल आबादी में से 43.63 फीसद लोगों की मातृभाषा हिन्दी है। तथा इसके बाद बांग्ला और मराठी भाषा को स्थान दिया गया है। फोर्ब्स पत्रिका के 30 सितंबर 2024 अंक के अनुसार विश्व में बोलचाल की भाषा के रूप में हिन्दी का तीसरा स्थान है।

बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली समिति जब संविधान के स्वरूप पर मंथन कर रही थी तो भाषा से जुड़ा कानून बनाने की जिम्मेदारी अलग-अलग भाषा वाली पृष्ठभूमि से आए दो विद्वानों को दी गई थी। इनमें एक थे तत्कालीन बॉम्बे सरकार में गृह मंत्री रह चुके कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जिन्हें लेखकीय जगत में घनश्याम व्यास नाम से भी जाना जाता है। दूसरे विद्वान थे तमिल भाषी नरसिम्हा गोपालस्वामी आयंगर। श्री आयंगर इंडियन सिविल सर्विस में अफसर रह चुके थे और साल 1937 से 1943 के दौरान जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री भी थे। इन दोनों की अगुवाई में तीन साल तक हिन्दी के पक्ष-विपक्ष में यह गहन वाद-विवाद हुआ कि आखिर भारत की राष्ट्रभाषा का स्वरूप क्या होगा।

उत्तर प्रदेश के एक प्रतिनिधि आर वी धुलेकर ने हिन्दी की पैरवी करते हुए भावुक होकर तर्क दिया कि हिन्दी न केवल आधिकारिक भाषा होनी चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय भाषा भी होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिन्दी ने भाषाओं के बीच एक दौड़ में जीत हासिल की है और मान्यता के योग्य है। मध्य प्रांत और बरार का प्रतिनिधित्व करने वाले फ्रैंक एंथोनी ने अंग्रेजी के लिए एक अकाट्य मामला बनाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि दो शताब्दियों में अर्जित अंग्रेजी का ज्ञान अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए एक मूल्यवान संपत्ति है। बंगाल का प्रतिनिधित्व करने वाले पंडित लक्ष्मी कांत मैत्रा ने संस्कृत

को राष्ट्रीय और आधिकारिक भाषा बनाने की वकालत की। उन्होंने तर्क दिया कि यह समृद्ध विरासत के साथ एक सम्माननीय भाषा है। मध्य प्रांत और बरार के काजी सैयद करीमुद्दीन ने महात्मा गांधी के हिंदुस्तानी के समर्थन पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि देवनागरी और उर्दू दोनों लिपियों में लिखी गई हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। मद्रास का प्रतिनिधित्व करने वाले टी ए रामलिंगम चेट्टियार ने हिन्दी को इसके व्यापक उपयोग के कारण आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया, लेकिन राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसके दावे पर सवाल उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि भारत में कई राष्ट्रीय भाषाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक को समान मान्यता दी जानी चाहिए। सेठ गोविंद दास, मैथिली शरण गुप्त, काका कालेलकर और ब्योहर राजेंद्र सिन्हा जैसे नेताओं ने हिन्दी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी तथा श्री नरसिम्हा गोपालस्वामी आयंगर, दोनों की अगुवाई में तीन साल तक भारत की राष्ट्रभाषा के स्वरूप को लेकर हिन्दी के पक्ष-विपक्ष में गहन वाद-विवाद हुआ। आखिरकार एक समझौते फॉर्मूले पर मुहर लगी, जिसे **मुंशी-आयंगर फॉर्मूला** कहा जाता है। इस फॉर्मूले के अनुसार भारतीय संविधान में भाषा को लेकर कानून बना तथा हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में इस कानून को 14 सितंबर 1949 को अंगीकार किया गया। इस फॉर्मूले के मुताबिक हिन्दी को संघ की आधिकारिक भाषा बनाया गया और उसकी लिपि देवनागरी रखी गई (अनुच्छेद 343)। इस फॉर्मूले के मुताबिक संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार अंको का प्रयोग किया जाना था (अनुच्छेद 343)। इस फॉर्मूले के अनुसार अंग्रेजी को 15 सालों के लिए सह-राजभाषा बनाया गया। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में भाषा अंग्रेजी होगी (अनुच्छेद 348)। इस फॉर्मूले के मुताबिक संघीय सरकार हिन्दी का प्रचार-प्रसार और विकास इस तरह करेगी कि वह भारत की मिश्रित संस्कृति की अभिव्यक्ति बन सके (अनुच्छेद 351)।

अतुल्य भारत में अपनी भाषा का योगदान



डॉ. पीयूष राज
मुख्य प्रबंधक
(राजभाषा)

भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण के आज के युग में पूरी दुनिया में एक जैसी आर्थिक और सांस्कृतिक प्रवृत्ति देखी जाती है। एकरूपता की प्रवृत्ति के बावजूद, किसी भी देश की मौलिक स्थापत्य और ललित कलाएं, संस्कृति, संगीत तथा सामाजिक-आर्थिक विशिष्टताएं, उस देश को अतुल्य बनाती हैं। भाषा भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि वह तो समस्त मानवीय गतिविधि का मूल आधार और उसका दर्पण होती है। भाषा का महत्व बताते हुए आचार्य दण्डी ने कहा है कि यदि शब्द रूपी ज्योति, इस संसार में प्रकाशित न हो तो पूरी दुनिया में अंधकार छा जाए।

“इदमन्धं तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम् ।

यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते” ॥ (काव्यादर्श)

जहाँ एक ओर भाषा से प्रकाश है तो वहीं दूसरी ओर कविता एवं साहित्य से हृदय की सूक्ष्म अभिव्यक्तियां हैं। किसी अतुल्य देश की तलाश करनी हो तो उसकी भाषा और साहित्य की गहराई को देख लीजिए। साहित्य के उद्भव पर सुमित्रानंदन पंत की सूक्ष्मतम अभिव्यक्ति है -

“वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान।

निकल कर आँखों से चुपचाप, बही होगी कविता अनजान”

हमारी अपनी भाषाओं ने हमारे देश को अतुल्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आमतौर पर पूरी दुनिया के मानवों को चार वर्गों में बांटा जाता है - 1) कोकेशियान, 2) ऑस्ट्रेलॉयड, 3) मंगोलायड और 4) नेग्रिटो। भारतीय भाषाओं की अतुल्य विशेषता यह है कि यहाँ की मौजूदा भाषाओं और बोलियों में, इन सभी वर्गों की भाषाओं की सुगंध है। उत्तर भारत में कोकेशियान प्रभाव है तो दक्षिण भारत में ऑस्ट्रेलॉयड प्रभाव है। उत्तर पूर्व भारत में मंगोलायड प्रभाव है। यद्यपि नेग्रिटो वर्ग की भाषा का प्रभाव क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तक सीमित है तथापि भारत की मुख्य भूमि पर, पीपल वृक्ष की पूजा आदि सांस्कृतिक प्रभावों के रूप में नेग्रिटो भाषा परिवार भी हमारी संस्कृति को अतुल्य बना रहा है।

विश्व की समस्त भाषाओं को भाषा वैज्ञानिक अवधारणा के

अनुसार मुख्य रूप से 14 भाषा परिवारों में बांटा जाता है जिसमें से चार - 1) भारोपीय, 2) द्रविड़, 3) ऑस्ट्रो-एशियाई और 4) चीनी-तिब्बती भाषा परिवारों की अनेकों भाषाओं और बोलियों का संबंध भारत भूमि से होना, किसी आश्चर्य से कम नहीं है। भाषाओं और बोलियों की इतनी विविधता और उसमें व्याप्त इतना गहन आध्यात्मिक और लौकिक साहित्य, किसी अन्य देश तो क्या, किसी अन्य महाद्वीप में भी नहीं है। निश्चित तौर पर हमारी भाषाओं की अकल्पनीय विविधता और उसमें रचित गंभीर एवं विविध साहित्य ने हमें अतुल्य बनाया है।

1. भारोपीय भाषा परिवार :

भारोपीय भाषा परिवार की बात की जाए तो भारत में इसकी प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। इस भाषा में दुनिया का सर्वाधिक प्राचीन और उत्कृष्ट साहित्य मौजूद है। इस भाषा में ऋग्-वेद से आरंभ करते हुए ब्राह्मण ग्रन्थ, आरण्यक ग्रन्थ, उपनिषद् ग्रन्थ, सूत्र साहित्य, वेदांग ग्रन्थ, आयुर्वेद आदि उपवेदों के ग्रन्थ, रामायण, महाभारत, पुराण, दर्शनशास्त्र, व्याकरणशास्त्र, काव्यशास्त्र, संगीतशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, काव्य, महाकाव्य, कथा साहित्य, अर्थशास्त्र, कोश वाङ्मय आदि विषयों के हजारों ग्रन्थों के साथ, मानव सभ्यता के हजारों वर्षों का बृहद् इतिहास मौजूद है। इसमें आदिकवि वाल्मीकि भी हैं और आर्यभट्ट जैसे आदिवैज्ञानिक भी। यह गुप्त काल में उत्तर भारत की राजभाषा होने के साथ-साथ पल्लव शासकों के अधीन दक्षिण भारत की राजभाषा भी रही है तथा इस प्रकार यह अपने समय की सम्पूर्ण देश की प्रथम राष्ट्रीय राजभाषा कही जा सकती है।

जहाँ एक ओर हमारी प्राकृत भाषा में जैन धर्म के मूल ग्रन्थ प्राप्त होते हैं, वहीं पाली भाषा में बौद्ध धर्म के मूल ग्रन्थ प्राप्त होते हैं। बौद्ध धर्म का शान्ति का संदेश चीन और जापान सहित पूरी दुनिया में गया एवं इसने हमारे देश को अतुल्य बनाया। प्रख्यात लेखक एच. जी. वेल्स के अनुसार दुनिया के अतुल्य सम्राट राजा अशोक थे (ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ दि वर्ल्ड) जिनके अभिलेखों की भाषा प्राकृत ही है।

विकास क्रम में प्राकृत और पाली के बाद बृहद् अपभ्रंश साहित्य आता है जिसने अपनी उर्वरक शक्ति से हिन्दी, बंगला, पंजाबी, गुजराती, मराठी आदि आधुनिक भारतीय भाषाओं को जन्म दिया। अपभ्रंश तथा उनसे उत्पन्न भाषाओं को निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है:-

अपभ्रंश	आधुनिक भाषा
1. टक्क	पंजाबी
2. शौरसेनी	गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिन्दी (ब्रज, खड़ी बोली आदि), पहाड़ी हिन्दी (कुमाऊनी, गढ़वाली)
3. अर्धमागधी	पूर्वी हिन्दी (अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी)
4. मागधी	बिहारी हिन्दी (भोजपुरी, मैथिली, मगही), असमिया, बंगला, ओडिया
5. महाराष्ट्री	मराठी
6. पैशाची	कश्मीरी

भारत की लगभग सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म प्रारंभिक मध्यकाल में हुआ। इस काल को इतिहास में पहले अंधकार काल कहते थे लेकिन अनेकों भाषाओं की उत्पत्ति के प्रकाश से यह काल जगमगा उठा और इस प्रकार हमारी भाषाओं ने भारतीय इतिहास के रिक्त पृष्ठों को श्रेष्ठतम सृजनात्मकता से भरकर इसे भी अतुल्य बनाया।

जहाँ एक ओर आरंभिक हिन्दी में सूर, नंद, नरोत्तमदास, नाभादास, केशवदास, रसखान, सेनापति, बिहारी, भूषण, तुलसी जैसे श्रेष्ठ साहित्यकार हुए तो वहीं आरंभिक गुजराती में विनयचंद्र सूरि, राजशेखर, नरसी मेहता जैसे महान् कविहृदय हुए। जहाँ एक ओर हिन्दी के आदिकाल में सिद्ध, नाथ और रासो साहित्य है तो वहीं मराठी के आदि कवि मुकुंदराज हैं तथा यह भाषा महान संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास आदि की भक्तिपरक वाणी है। पीताम्बर, शंकर देव, माधव देव आदि के साहित्यिक रंग असमिया को सजाते हैं। आरंभिक ओडिया साहित्यकारों में लुइपा, शबरीया, सरलादास आदि की कृतियां अविस्मरणीय हैं।

हिन्दी, गुजराती, मराठी आदि के अतिरिक्त हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कुल 22 भाषाओं में से 15 भाषाओं जैसे उर्दू, कश्मीरी, सिंधी, नेपाली, कोकणी, मैथिली, डोगरी आदि का संबंध भी भारोपीय भाषा परिवार से ही है।

2. द्रविड़ भाषा परिवार :

द्रविड़ भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा तमिल है। इसमें 300

ईसा पूर्व से 300 ईसवीं तक उत्कृष्ट संगम साहित्य की रचना की गई है। 7वीं शताब्दी ईसवीं से तमिल में अविच्छिन्न रूप से बेहतरीन साहित्य उपलब्ध होता है। तिरुवल्लुवर, आंडाल, कंबन, मीनाक्षी सुन्दरम् आदि तमिल भाषा के रत्न हैं। तमिल भाषा को बोलने वाले श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका में भी हैं।

9वीं शताब्दी से मलयालम की धारा तमिल से अलग हुई और धीरे-धीरे अपने उत्कृष्ट साहित्यिक रूप में विकसित हो गई। इस भाषा में संस्कृत शब्दों का व्यापक प्रयोग है। रामप्पीकर, चेरुशेरी नपूनीरो, कोट्टारक्कर तंपुरान आदि मलयालम के आरंभिक महान् कवि हैं।

कन्नड़ भाषा में यद्यपि प्राचीन लेखन भी प्राप्त होते हैं परन्तु नियमित साहित्य सृजन 7वीं - 8वीं शताब्दी से आरंभ होता है। पंप, पोन्न तथा रन्न को कन्नड़ भाषा के “रत्नत्रय” कहा जाता है।

तेलुगू साहित्य अपने आप में अत्यंत विशाल है। तेलुगू साहित्य का स्वर्ण काल इसका मध्यकाल (1500-1750 ई.) कहा जाता है जिसके प्रमुख कवि पेद्दना, नंदितिम्पना, मल्लना आदि हैं।

3. ऑस्ट्रो-एशियाई भाषा परिवार :

हमारे देश की संथाली और मुंडारी भाषाओं का संबंध ऑस्ट्रो-एशियाई भाषा परिवार की मुंडा शाखा से है। भारत में लगभग 60-70 लाख लोग मुंडा परिवार की भाषाएं बोलते हैं। संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसे बोलने वाले झारखंड, असम, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में के कुछ हिस्सों में भी फैले हुए हैं। इसकी अपनी वर्णमाला है जिसे “चिकी” कहते हैं।

ऑस्ट्रो-एशियाई भाषा परिवार की विशालतम शाखा मॉन-ख्मेर है जिसकी भाषाएं मेघालय एवं निकोबार द्वीप पर बोली जाती हैं।

4. चीनी-तिब्बती भाषा परिवार :

अंगामी जो कि नागालैंड की भाषा है, मणिपुरी, मिजो, असम की बोडो, सिक्किम की लेप्चा और लद्दाख की लद्दाखी, चीनी-तिब्बती भाषा परिवार की भाषाएं हैं। मणिपुरी और बोडो को संविधान को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। मणिपुरी को मणिपुर के अतिरिक्त असम, त्रिपुरा, बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों में भी बोला जाता है। बोडो भाषा की लिपि देवनागरी है तथा असम की दिमास, मेघालय की गारो और त्रिपुरा की कोकबोरोक भाषा से इसका निकट संबंध है।

भारतीय भाषाओं में आधुनिकता

स्वतंत्रता के बाद धीरे-धीरे अपने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के कारण हमारा देश आज दुनिया की सबसे बड़ी शीर्ष 05

अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। अंग्रेजी दासता से मुक्ति के तुरंत बाद भयंकर अकालों और आर्थिक लूट का दर्दनाक दौर समाप्त हुआ और कुव्यवस्था के स्थान पर स्वराज आया एवं धीरे-धीरे शान्तिपूर्वक कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में क्रांति हुई। भारतीय भाषाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई तथा स्वतंत्रता के बाद विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का प्रयोग करते हुए दबाया गया। कई भारतीय भाषाओं की पुस्तकें जैसे सोजे-ए-वतन, हिन्द स्वराज आदि को प्रतिबंधित किया गया। परन्तु भारतीय भाषाएं कहां दबने वाली थीं। भारतीय भाषाएं तो देश को अतुल्य बनाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में आधुनिक विचारों से लैश हो गईं। उनमें राष्ट्रवाद और देशप्रेम भर गया। उनमें समाज सुधार का स्वर आ गया। वे स्त्री मुक्ति, धर्मसुधार आदि प्रश्नों पर मुखर हो गईं। प्राचीन साहित्य की नई एवं आधुनिक व्याख्याएं हुईं। राजा राममोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि समाज सुधारक के विचारों से प्रभावित होकर हमारी भाषाएं आधुनिकता के पथ पर सरपट दौड़ने लगीं। आज जो हम आधुनिक और अतुल्य भारत देखते हैं उसके मूल में इसी आधुनिक स्वर से भरी हमारी भारतीय भाषाओं द्वारा निर्मित एक आधुनिक राष्ट्र है। हमारी भाषाओं ने हमारे अंदर आत्मसम्मान एवं देश-प्रेम की समुज्ज्वल भावना पैदा की।

“मुझे तोड़ लेना वनमाली
उस पथ पर तुम देना फेक,
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने
जिस पथ जाएं वीर अनेक”

जैसी पंक्तियों से प्रेरित होकर देश की आज़ादी के लिए कई युवा, स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय का “वंदे मातरम्” एक ऐसा मंत्र बन गया जिसका गान करते हुए कई क्रांतिकारी हंसते-हंसते फांसी के फंदों पर झूल गये। “सरफ़रोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है। देखना है ज़ोर कितना, बाजू-ए-कातिल में है?” जैसे गीतों ने क्रांतिकारियों में अभूतपूर्व उत्साह का संचार किया।

जहाँ एक ओर हिन्दी में आधुनिकता का प्रवर्तन भारतेन्दु ने किया वहीं दूसरी ओर मजबूत धार्मिक-सामाजिक सुधार की पृष्ठभूमि में बंगला में माइकेल मधुसूदन दत्त, रवीन्द्रनाथ ठाकुर आदि ने आधुनिकता के स्वर डाले।

जहाँ एक ओर हिन्दी में मैथिलीशरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि ने

राष्ट्रवादी वीर रस से भारत को अतुल्य बनाया वहीं मराठी में केशवसुत, नारायण तिलक, भास्कर तांबे, बापुजी ठोंबरे आदि ने राष्ट्रीय अस्मिता को झकझोर दिया। पंजाबी में भाई वीर सिंह, दीवान सिंह कालेपानी आदि, उर्दू में जोश मलीहाबादी आदि, ओडिया में फकीरमोहन, गंगाधर मेहेर, चिंतामणि महांति आदि, असमिया में कमलाकांत भट्टाचार्य आदि, गुजराती में दलपतराय, नर्मदाशंकर आदि, तमिल में सुब्रमण्यम् भारती आदि, तेलुगू में वीरेश लिंगम, जयंति रामय्या सुब्बाराव आदि, कन्नड़ में डी.वी. गुंडप्पा, एस. कुट्टी आदि, मलयालम में केरल वर्मा, उल्लूर, बालकृष्ण पणिकर आदि अनेक भारतीय भाषाओं के हजारों साहित्यकारों ने देशप्रेम का ऐसा रक्षासूत्र बांधा कि आज भी देश एकजुटता और भाईचारे के बंधन से जुड़कर, सामाजिक-धार्मिक और आर्थिक रूप में समग्र और सतत रूप से विकसित हो रहा है।

“रक्त है? या है नसों में क्षुत्र पानी?

जाँच कर, तू सीस दे-देकर जवानी”

जैसी पंक्तियाँ आज भी राष्ट्र की रक्षा हेतु सर्वस्व समर्पण करने के लिए हमारे युवाओं को प्रेरित करती हैं, जो देश को अतुल्य बनाने की मूलभूत शर्त है।

उपसंहार

देश को अतुल्य बनाने में भाषा के योगदान पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि “अनेकता में एकता” ही हमारी शक्ति है। “फूट डालो, राज करो” की नीति का उत्तर हमें “आवाज दो हम एक हैं” के रूप में देना है।

भारतीय भाषाओं में विविधता होने पर भी उनमें एक दूसरे की शब्दसंपदा ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता है। शब्दों के अतिरिक्त विचारों का भी पर्याप्त आदान-प्रदान हुआ है। तमिलनाडु के महान् संत रामानुजाचार्य की भक्ति की प्रबल धारा को रामानन्द उत्तर भारत ले आये और कबीरदास ने मानो इसे उत्तर भारत की पानी में घोल दिया।

उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत में भक्ति, ज्ञान और कर्म की त्रयात्मिका धारा ने सांस्कृतिक एकता स्थापित की एवं एक जैसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमारे एक जैसे सुख-दुःख, संघर्ष और विकास यात्रा ने हमारे अतुल्य देश का निर्माण किया तथा इसकी अतुल्य भाषाओं ने इस पावन मिट्टी की श्रीवृद्धि में चार-चाँद लगाये।

आज तेज गति से शान्तिपूर्वक आगे बढ़ते, अपने अतुल्य देश का अपनी विविध अतुल्य भाषाओं के माध्यम से गुणगान करते हुए हम स्वयं को धन्य मानते हैं। “जय हिन्द”। “वंदे मातरम्”।

राजभाषा हिन्दी और ग्राहक सेवा



सुदीप सैनी
वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा
आंचलिक कार्यालय
इंदौर

हिन्दी अपनी भौगोलिक सीमाओं को तोड़ती हुई अनेक स्वरूपों में स्वाभाविक रूप से फैल रही है। एक ओर बोलचाल में हिन्दी सर्वाधिक लोकप्रिय बनी हुई है तो दूसरी ओर व्यवसाय के क्षेत्र में जनभाषा के रूप में अपना पैठ बनाती जा रही है। वर्तमान बाजारवाद में व्यवसायिक संस्थाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है “ग्राहक सेवा”। आर्थिक उदारीकरण ने बाजार में इतनी अधिक प्रतिस्पर्धा सृजित कर दी है कि उपभोक्ताओं के समक्ष अब उत्पादों की कमी नहीं रह गई है, विकल्पों की कमी नहीं रह गई है। ग्राहकों को टिकाए रख पाना तथा नए ग्राहकों को आकर्षित कर पाना- व्यवसायिक संस्थाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वही संस्था आज के वैश्विक बाजार में टिकी रह सकती है जिसकी ग्राहक सेवा उम्दा हो।

ग्राहक सेवा को उत्कृष्ट बनाने में कई तत्वों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जिनमें महत्वपूर्ण हैं :-

1. उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग
2. ग्राहकों से विनम्रतापूर्वक व्यवहार
3. ग्राहकों के मनोनुकूल त्वरित सेवा और
4. ग्राहक की भाषा का प्रयोग

उपर्युक्त महत्वपूर्ण तत्वों के अलावा और अनेक ऐसे बिन्दु हैं जिनसे ग्राहक सेवा प्रभावित होती है, परंतु यहाँ हमारा विचारणीय विषय है “ग्राहक सेवा में राजभाषा हिन्दी का महत्व”। यहाँ हमें यह समझना होगा कि ग्राहक सेवा में भाषा प्रयोग को हम दो स्तरों पर देख सकते हैं। एक बातचीत के स्तर पर और दूसरा लेखन स्तर पर। बातचीत के स्तर पर ग्राहकों के साथ हिन्दी का प्रयोग बखूबी होता है, भले ही अलग-अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली हिन्दी का स्वरूप भिन्न हो, या फिर वह अंग्रेजी मिश्रित हिन्दी ही क्यों न हो। आलोच्य

विषय में ‘राजभाषा हिन्दी का महत्व’ से तात्पर्य व्यवसायिक प्रक्रिया में लिखने में हिन्दी के प्रयोग से है। ग्राहक सेवा में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के महत्व को विश्लेषित करने के लिए हों निम्नलिखित उप शीर्षकों पर प्रकाश डालना पड़ेगा :-

1. राजभाषा हिन्दी के प्रयोग संबंधी संवैधानिक व्यवस्था।
2. जनभाषा और बाजार की जरूरत।
3. वित्तीय समावेशण और चौक-चौराहे की भाषा।
4. सूचना प्रौद्योगिकी और हिन्दी।

संवैधानिक व्यवस्था का जहाँ तक प्रश्न है - देवनागरी में लिखी हिन्दी भारत संघ की राजभाषा है। प्रत्येक केन्द्र सरकार के कार्यालयों एवं उपक्रमों तथा निगमों को राजभाषायी संवैधानिक व्यवस्था का सम्मानपूर्वक अनुपालन करना है। भाषायी आधार पर वर्गीकृत भारत के तीनों क्षेत्र “क”, “ख” तथा “ग” स्थित कार्यालयों के लिए राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। “क” क्षेत्र के अंतर्गत हिन्दीभाषी राज्य आते हैं, जाहिर है जनसाधारण हिन्दी बोलते, समझते और लिखते हैं। हिन्दी इस क्षेत्र विशेष के लोगों की अपनी भाषा है। स्पष्ट है कि कार्यालयों / बैंकों / उपक्रमों आदि में समस्त काम-काज यदि हिन्दी में निष्पादित किया जाए तो न सिर्फ हम संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान करते हैं- अनुपालन करते हैं बल्कि ग्राहकों की अपनी भाषा हिन्दी में कार्य निष्पादित कर उनकी सच्ची सेवा भी करते हैं। अतः संवैधानिक दृष्टि से भी देखें तो ग्राहक सेवा में राजभाषा हिन्दी का सर्वाधिक महत्व स्वतः प्रमाणित है।

वर्तमान बाजारवाद में उत्पादों और सेवा विकल्पों की भरमार आ गई है। उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करने को

व्यावसायिक संस्थाएं, सेवा क्षेत्र की संस्थाएं तरह-तरह के हथकंडे अपना रही हैं। यहाँ तक कि बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनियां भी अपने उत्पादों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए हिन्दी भाषा का सहारा ले रही हैं। ऐसी स्थिति में लाभप्रदता और विक्रय की दृष्टि से राजभाषा हिन्दी का प्रयोग 'ग्राहकों को अच्छी सेवा' प्रदान करने में महत भूमिका निभा सकती हैं। उत्पादों की जानकारी, सेवाओं की जानकारी, शर्तें आदि समस्त विवरण हिन्दी में उपलब्ध करा कर हम उपभोक्ताओं के, जनता के और करीब जा सकते हैं। व्यावसायिक संस्थाएं आज की दौर में इस जरूरत को समझ भी रही हैं और स्वेच्छा से हिन्दी के प्रयोग को अपना रही हैं। बावजूद इसके राजभाषा हिन्दी के कार्यालयी प्रयोग में झिझक भी कम नहीं है, इस झिझक को दूर कर राजभाषा हिन्दी के माध्यम से ग्राहक सेवा को और उन्नत बनाया जा सकता है।

हम देख रहे हैं कि भारत सरकार बैंकिंग के विस्तार के लिए तरह-तरह की योजनाएं ला रही हैं। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत सरकार उन लोगों को भी बैंकिंग से जोड़ना चाहती है जो अब तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित रहे हैं। दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र के मजदूर वर्ग के लोग, दैनिक श्रम से अपना पेट भरने वाले लोग भी वित्तीय समावेशन के तहत बैंक में अपना खाता खुलवाकर सरकारी योजनाओं तथा बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या फिर अशिक्षित हैं। जाहिर है ये लोग यदि अपनी मातृभाषा या बोली के अलावा कोई भाषा जानते हैं तो वह 'हिन्दी' है। हिन्दी मात्र राजभाषा ही नहीं वरन चौक-चौराहे और सड़कों की भाषा भी है। हिन्दी के कार्यालयी प्रयोग के बगैर वित्तीय समावेशन की योजना बेमानी है। अतः बृहत्तर ग्राहक सेवा को यदि हम देखें तो राजभाषा हिन्दी ही एक मात्र वह भाषा है जो उद्देश्य की पूर्ति करती है।

एक समय था जब यह दुष्प्रचार हावी था कि तकनीकी तौर पर हिन्दी कमजोर है। हिन्दी कंप्यूटर और मशीन की भाषा नहीं हो सकती। इस दुष्प्रचार ने लम्बे समय तक हिन्दी प्रयोग को क्षति पहुंचाया है। धीरे-धीरे बाजार में हिन्दी के लिए तरह-तरह के सॉफ्टवेयर एवं फॉन्ट्स उपलब्ध हुए। इनकी उपलब्धता भी धुंध नहीं छांट पायी। निजी कंपनियां अपने-अपने अनुसार विभिन्न फीचर्स के साथ सॉफ्टवेयर उपलब्ध करा चुकी थीं। समस्या यह उत्पन्न हुई

कि किसी में एक सुविधा थी तो किसी में दूसरी। हिन्दी प्रयोग में सॉफ्टवेयर चयन की समस्या विकट थी। एक फॉन्ट में बनायी गई हिन्दी में कोई सामग्री अन्य कंप्यूटर पर खुलती नहीं थी यदि वह फॉन्ट उस मशीन में नहीं हो तो। इन समस्याओं पर भारत सरकार के तकनीकी विभाग ने ध्यान दिया और समाधान ढूँढ निकाला। अब कंप्यूटर पर हिन्दी प्रयोग में एकरूपता आ गई है। यूनिकोड की सुविधा आ जाने से उपर्युक्त समस्याएं अब नहीं रहीं। कंप्यूटर निर्माण के समय ही यूनिकोड संस्थापित करने की शर्त का अनुपालन निर्माताओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। कंप्यूटर में यूनिकोड की सुविधा अब इंबिल्ट होती है, सिर्फ उसे सक्रिय किया जाता है। यूनिकोड सक्रिय कर हम सरलतापूर्वक हिन्दी में कार्य निष्पादित कर पाते हैं। सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है जिस मशीन पर यूनिकोड सक्रिय नहीं है, उस पर भी यूनिकोड में निर्मित कोई सामग्री सरलतापूर्वक खुलती है। अतः अब हिन्दी की सामग्री किसी कंप्यूटर पर नहीं खुलने की समस्या नहीं रही। दूसरी बात कि यूनिकोड के माध्यम से हिन्दी में ई-मेल इत्यादि भी सुगमता से होता है। इतना ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक किसी भी माध्यम में हिन्दी के प्रयोग में अब कोई तकनीकी बाधा नहीं रही। इस प्रकार ग्राहकों की अपेक्षानुरूप अब व्यावसायिक संस्थाएं हिन्दी में माँगी गई सामग्री तैयार करने में सक्षम हैं। निष्कर्ष यह है कि ग्राहक सेवा में हिन्दी के प्रयोग में अब सूचना प्रौद्योगिकी पूरी तरह से सहायक है।

उपर्युक्त विवरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ग्राहक सेवा में भाषा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, भाषाओं में भी राजभाषा हिन्दी का सर्वाधिक महत्व है। संस्कृत का एक श्लोक यहाँ उद्धृत करना आवश्यक प्रतीत होता है-

“काव्येषु नाटकम रम्यम, तत्र रम्या शकुंतला
तत्रापि चतुर्थोऽकः, तत्र श्लोक चतुष्टयम्”

अर्थात् काव्यों में नाटक सर्वाधिक रमणीय है, नाटकों में शकुंतला नाटक सर्वाधिक रमणीय उसमें भी चौथा अध्याय अत्यधिक रमणीय और उस अध्याय में भी चौथा श्लोक सर्वाधिक रमणीय है। उसी प्रकार ग्राहक सेवा में भाषा की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और उसमें भी राजभाषा हिन्दी की, जिसे अधिकांश जनता जानती, समझती, बोलती, पढ़ती और लिखती है।

तमिलनाडु में हिंदी भाषा के बढ़ते कदम



बी. तिलगम
एमएसएमईसीसी
कोयम्बतूर

तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर और तमिल भाषा पर गर्व करता है। हालांकि हाल के दशकों में हिंदी भाषा का विस्तार तमिलनाडु में तेज़ी से बढ़ा है। यह बदलाव राज्य के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और व्यावसायिक पहलुओं में परिलक्षित हो रहा है। हिंदी भाषा के इस बढ़ते प्रभाव पर विचार करना महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह राज्य की सांस्कृतिक पहचान और भाषाई परिदृश्य को प्रभावित कर रहा है।

हिंदी का प्रभाव और विस्तार

हिंदी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा होने के नाते, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तमिलनाडु के लोग भी इसे समझते हुए हिंदी को सीख रहे हैं, ताकि वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भागीदारी को बढ़ा सकें।

संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी का प्रचार-प्रसार भी हो रहा है। इससे तमिलनाडु के लोगों में हिंदी के प्रति जागरूकता और आकर्षण बढ़ रहा है।

तमिलनाडु के युवा हिंदी गानों, बॉलीवुड फैशन और ट्रेंड्स को अपनाकर एक नई सांस्कृतिक पहचान बना रहे हैं।

विश्वविद्यालयों में हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा और हिंदी वाद-विवाद जैसी प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा रही हैं, जिनमें छात्रों की भागीदारी बढ़ रही है।

तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से वे युवा जो नौकरी के लिए अन्य राज्यों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी सीखने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भी हिंदी का उपयोग बढ़ा है, खासकर जब वे हिंदी भाषी व्यापारियों और कृषि उत्पादकों के साथ व्यापार करते हैं।

तमिलनाडु के शहरी क्षेत्रों में मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों में हिंदी फिल्मों का प्रदर्शन नियमित रूप से होता है, जिससे तमिलनाडु के लोगों में हिंदी सिनेमा का मोह बढ़ा है।

हिंदी फिल्मों का तमिल में डबिंग और हिंदी से तमिल में अनुवाद का बढ़ता चलन भी लोगों को हिंदी सीखने में सहायक है।

तमिलनाडु के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पर उत्तर भारतीय पर्यटकों की बढ़ती संख्या ने हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया है। पर्यटन उद्योग से जुड़े विक्रेता, हिंदी सीख रहे हैं।

अब राज्य के कई पर्यटन स्थलों पर हिंदी में साइनबोर्ड और दिशा-निर्देश भी देखे जा सकते हैं, जो हिंदी के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।

प्रवासी हिंदी भाषी समुदायों का योगदान

तमिलनाडु में रहने वाले उत्तर भारतीय प्रवासी अपने साथ हिंदी भाषा का भी विस्तार कर रहे हैं। उनका व्यापारिक और सामाजिक नेटवर्किंग में हिंदी का प्रयोग स्थानीय लोगों को भी प्रभावित कर रहा है। प्रवासी समुदायों द्वारा आयोजित सांस्कृतिक मेलों, जैसे दुर्गा पूजा, छठ पूजा आदि में हिंदी का प्रभाव देखने को मिलता है, जो स्थानीय लोगों के बीच भी हिंदी की लोकप्रियता बढ़ा रहा है।

हिंदी में व्यावसायिकता प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम

तमिलनाडु के कई शिक्षण संस्थान अब प्रोफेशनल कोर्सेज में

हिंदी को एक विषय के रूप में शामिल कर रहे हैं। यह विशेष रूप से मैनेजमेंट, बैंकिंग और मार्केटिंग के छात्रों के लिए फायदेमंद है। हिंदी भाषा सीखने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म का उपयोग बढ़ा है। यह तमिलनाडु के लोगों को हिंदी सीखने में मदद कर रहा है।

भाषाई मिश्रण और नई शब्दावली का विकास

तमिलनाडु में, खासकर शहरी क्षेत्रों में, हिंदी और तमिल शब्दों का मिश्रण करते हुए नई शब्दावली का निर्माण हो रहा है।

तमिलनाडु में लोगों के बीच बहुभाषी होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जहाँ लोग एक साथ तमिल, हिंदी और अंग्रेज़ी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं।

राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण

द्रविड़ राजनीतिक दल लंबे समय से हिंदी के प्रसार का विरोध करते आ रहे हैं, इसे तमिल भाषा एवं संस्कृति पर खतरे के रूप में देखते हैं। वहीं, अन्य राजनीतिक समूह इसे राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचारित करने के पक्ष में हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बल मिले।

राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर हिंदी

केंद्र सरकार द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने की नीतियों, जैसे त्रि-भाषा सूत्र ने तमिलनाडु में हिंदी के प्रति रुचि को बढ़ाया है। हालांकि, तमिलनाडु की सरकार और स्थानीय राजनीतिक दलों ने अक्सर हिंदी के अनिवार्य प्रयोग का विरोध किया है, इसे क्षेत्रीय पहचान पर हमला माना है।

निष्कर्ष

तमिलनाडु में हिंदी भाषा के बढ़ते कदम एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, जो राज्य की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को चुनौती देता है। हालांकि, इसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर हिंदी का महत्व बढ़ रहा है। तमिलनाडु के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है जिसमें तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के साथ-साथ हिंदी के साथ सह-अस्तित्व को भी स्वीकार किया जा सके।

‘हिंदी’

‘हिंदी’, हो तुम जीवन का आधार,
तुम हो जीवन में सुगंधित बयार,
तुम हो सुपाठ्य और सुविचार,
बिंदी मात्र नहीं, तुम हो पूर्ण अलंकार।

तुम रस, छंद अलंकारों-सा गहना हो,
तुम सब भाषाओं की बड़ी बहना हो,
तुम कविता, कहानी, उपन्यास हो,
साहित्य की आत्मा में बहती श्वास हो।

तुम ही राजभाषा कहलाती हो,
तत्सम, तद्भव, या हो देशी, विदेशज,
सब शब्दों को अपनाती हो,
तभी तो विश्व भाषा का दर्जा पाती हो।

नौ लाख से ज्यादा शब्दावली समेटे,
तुम ही शब्दों का संसार हो,
गांधी हो या हो गीता का सार,
तुम जीवन दर्शन की बहती धार।

तुम बिन मैं गूंगी हो जाती हूँ,
जहां तुम नहीं मैं बहरी हो जाती हूँ,
तुम ही मुख का श्रृंगार हो,
तुम ही मस्तिष्क के विचार हो।

तेरे चित्र देवनागरी में बनाती हूँ,
तेरे गीतों को सप्त स्वरों में गाती हूँ,
तुम ही मेरे ज्ञान का आधार हो,
ईश्वर वंदना भी तुमसे ही साकार हो।

तुम मेरा स्वाभिमान हो,
हमारी संस्कृति, परंपरा की जान हो।
आजादी के सारे किस्से समाए तुझमें,
तुम ही तो शहीदों का गौरव गान हो,
तुम ही से तो सब रिश्ते- नाते हैं, तुम ही मेरा श्रृंगार हो।

स्वरा त्रिपाठी

पुत्री श्री हिमांशु मणि त्रिपाठी,
वरिष्ठ प्रबंधक,
लखनऊ आंचलिक कार्यालय



काव्य संग्रह 'सिंधु काव्य रत्न' का विमोचन



नराकास रत्नागिरी का काव्य संग्रह 'सिंधु काव्य रत्न' का विमोचन भारत मंडपम में दिनांक 15.09.2024 को माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यांनंद राय जी एवं आईएस सुश्री अंशुली आर्या जी द्वारा किया गया।

समय

समय एक ऐसा जादू है
जो कभी - कभी
मृत वस्तुओं को
जिंदा कर देता है।

समय एक ऐसी नदी है।
जो अपनी बहती धार में
आंसुओं और सपनों की भी
बहा लेता है।

समय, एक ऐसी हवा है
जो, सपनों के
राजमहलों को भी
शमशान बना देता है।

समय, कभी बैशाख की
जानलेवा झंझ है
तो कभी यह
शरद सुबह की गर्माहट।



गणेश मेहेर
प्रबंधक
ऋण विभाग
संबलपुर अंचल कार्यालय



आज कुछ कर जाएंगे

आशा की उम्मीद लिए,
हर हद से गुजर जाएंगे,
आज कुछ कर जाएंगे!

आगाज की लौ जलाकर,
अंत तक का अंधकार मिटाएंगे,
आज कुछ कर जाएंगे!

मुश्किलों को आलिगन कर,
रास्ते आसान बनाएंगे,
आज कुछ कर जाएंगे!

पल-पल आगे बढ़कर,
लक्ष्य को नजदीक पाएंगे,
आज कुछ कर जाएंगे!

लक्ष्य पर पहुंचकर,
खुशियां अपार पाएंगे,
आज कुछ कर जाएंगे!

अनुराधा
पत्नी श्री गुरु प्रसाद गोंड
आंचलिक प्रबंधक
भोपाल अंचल



निज भाषा सम्मान

हैं हिन्द के हम, हिन्दी हमारी शान है,
हिन्दी केवल भाषा नहीं, भारतवर्ष की पहचान है।

तेरी रमणीय छांव, लगे बहुत सुखदायक,
सबको समेट अपने में, हो एकता की परिचायक।

तेरे जरिए ही, मेरा इस जग से बोध हुआ,
बिन मातृभाषा के, इंसान मानो अबोध हुआ।

है भाषा नहीं कोई, सुमधुर हिन्दी सी,
निखरे सौन्दर्य तेरा, सौभाग्यवती नारी की बिंदी सी।

विद्वान - मनीषी - कविवर, तेरा सदा मनन करें,
सुगमता है तुझमें ऐसी, कोई भी अनायास ग्रहण करें।

रामायण की नैतिकता हो या हो महाभारत का रण,
नागरी ने जन-जन से करवाया वेदों का उच्चारण।

तु सहज है सुलभ है, तुझसे जुड़ी पहचान हमारी,
सदा तेरी गरिमा बनी रहे, ऐसी है अभिलाषा हमारी।

मुकुन्द झा
हजारीबाग अंचल
सतर्कता विभाग



हिन्दी की व्यथा

मैं हूँ हिन्दी, भारत की हूँ राजभाषा,
बड़े बड़े विद्वानों ने मुझे संस्कृत से तराशा,
भारत के विद्वानों ने मुझे सर आँखों पर बिठाया,
मैंने ही भारतवासियों को ज्ञान का मार्ग दिखाया।

मैंने ही पराधीन देश को आजादी दिलवाई,
मुझसे ही क्रांतिकारियों ने क्रांति की ज्योत जलाई,
जननी की भांति मैंने किया समाज का पोषण,
किन्तु कर रहे मेरे बच्चे आज मेरा ही शोषण।

प्यारे भारतवासी अब मुझसे कतराने लगे,
अंग्रेज़ी बोलने वाले योग्य आंके जाने लगे,
जुल्मों को सहते-सहते तंग आ गई हूँ मैं,
अपने ही घर में विदेशी अंग्रेज़ी से घबरा गई हूँ मैं।

कहकहे लगाकर अंग्रेज़ी आज मुझ पर हँसती है,
खत्म कर दूंगी तुझे, यह कहकर ताने कसती है,
बेशक मैं मर जाऊँ, पर तुम सब ये लो जान,
मेरे कारण ही है भारत की है अलग पहचान।

हो न जाए भारत मेरा, फिर से कहीं भाषा का गुलाम,
यही विदेशी भाषा करेगी तुम्हारा जीना हराम,
ओ नादानों अब तो जागो, लो अब सुध मेरी,
आ न जाए कहीं भारत में भयानक रैन अंधेरी।

हो न पाएगा जिस रैन का कभी भी सवेरा,
छा न जाए फिर भारत में गुलामी का घनघोर अंधेरा।

प्रेम रंजन
भागलपुर अंचल



समय

काश हम समय को बाँध पाते,
उसे बांध के कहीं दूर चले जाते,
तारों के नीचे खुशियां मनाते,
छोड़ समय को कहीं दूर भाग जाते,

काश हम भी उड़ पाते,
पर लगाकर आकाश तक को छू जाते,
अनंत नील गगन के आलिंगन में,
अपने स्वप्न साकार कर पाते,

पर यह तो समय है, जो रुकता नहीं,
हमारी तरफ वह दौड़कर आता,
हमें छूकर छूमंतर हो जाता,
मुझे तुमसे दूर है ले जाता,

यह तो समय है जो रुकता नहीं,
मुझे मीलों दूर ले जाता है,
आज को कल और कल को आज बनाता है,
इतिहास हो या भविष्य इसी में समा जाता है,

और मैं पीछे मुड़कर देख सकता नहीं,
वक्त शायद बदल जाए, हम तो यहीं बैठे हैं,
काश वही बातें, वही पल फिर जी सके,
इसी ख्वाब के बलबूते में हम जी रहे हैं ।

विहान जोशी
पुत्र सचिन जोशी
सहायक महाप्रबंधक
एसएमईसीसी भोपाल



पथ प्रदर्शक सितारा

सभी का राजदुलारा
हमारा पथ प्रदर्शक सितारा

डटें रहें हैं हम अपने पथ पर
होकर सवार विकास के रथ पर
रहते हैं “सेवा में सदैव तत्पर.....”


सभी का राज दुलारा
हमारा पथ प्रदर्शक सितारा
अंदर समेटे विकास की कुंजी
थामे रखे “रिश्तों की जमा पूंजी”



सभी का राज दुलारा
हमारा पथ प्रदर्शक सितारा ।

अवनि अनेत आकाश
“बैंक ऑफ इंडिया
एक दिव्य प्रकाश” ।

जय प्रकाश सिंह
वरिष्ठ प्रबंधक
संबलपुर आंचलिक कार्यालय



चित्र काव्य प्रतियोगिता का चित्र



प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इस चित्र के भावों को व्यक्त करने वाली अधिकतम 50 शब्दों की कविता लिखें और हमें BOI.Vaarta@bankofindia.co.in पर ईमेल द्वारा भेजें। सर्वश्रेष्ठ कविता के रचयिता का फोटो, कविता के साथ अगले अंक में प्रकाशित किया जाएगा। पुरस्कार राशि रु. 1000/- है। इस प्रतियोगिता में केवल बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ सदस्य ही भाग ले सकते हैं। कृपया नोट करें कि 50 से अधिक शब्द होने पर प्रविष्टि को पुरस्कार हेतु पात्र नहीं माना जाएगा।

जून 2024 अंक के चित्र काव्य प्रतियोगिता के विजेता

बचपन की दोस्ती

हम दोनों की दोस्ती तो एक दूसरे से पूरी है,
बिछड़ जाए जो हम कहीं, तो जिंदगी अधूरी है,
ना तुम दूर जाना, ना हम होंगे दूर,
जब तक रहेंगे साथ, जिएंगे जीवन भरपूर,
पहले तो एहसास था पर अब यकीन है,
तुम्हारे साथ ही ये जिंदगी बड़ी हसीन है।



मोहम्मद मेहंदी
वरिष्ठ प्रबन्धक
सामान्य परिचालन विभाग
लखनऊ अंचल




“प्रतिनिधि व्यंग्य”



प्रशांत तनेजा
प्रबंधक
चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय

“बेइज्जती में अगर दूसरे को भी शामिल कर लो तो आधी इज्जत बच जाती है, ऐसे वाक्य गढ़ने वाले हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के प्रमुख व्यंग्यकार और सामाजिक चिंतक रहे हैं। उनकी लेखनी न केवल हास्य और व्यंग्य से भरी हुई है, बल्कि समाज की गहरी समस्याओं और अंतर्विरोधों का भी सटीक चित्रण करती है। उनकी प्रमुख व्यंग्य लेखों का संकलन ‘प्रतिनिधि व्यंग्य’ व्यंग्य की साहित्यिक शैली में लिखी गई है। इस पुस्तक में परसाई ने समय और समाज की प्रवृत्तियों पर व्यंग्य किया है, और यह दर्शाया है कि कैसे समाज में बदलते हुए मूल्यों और विचारों के बीच आदमी का



संघर्ष निरंतर चलता रहता है। इस पुस्तक में परसाई ने समय की बदलती परिस्थितियों और समाज की खोखली आदतों का गहराई से व्यंग्यपूर्ण विश्लेषण किया है। वे दिखाते हैं कि कैसे समाज के लोग अपनी आदतों और मान्यताओं से चिपके रहते हैं, जबकि समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती जाती हैं। परसाई की सरल, लेकिन प्रभावशाली लेखनी में हास्य और गहरी सोच का अद्भुत मिश्रण है, जो समाज की वास्तविकताओं को उजागर करता है।”

परिचय

इस पुस्तक के व्यंग्य लेखों में लेखक ने यह दिखाया है कि किस प्रकार समाज के लोग अपनी आदतों और प्रवृत्तियों में बदलाव

के बावजूद अपने स्वार्थ में फंसे रहते हैं। इस संग्रह में हर लेख समाज की किसी न किसी खामी पर टिप्पणी करता है। उदाहरण के लिए एक लेख में वह कहते हैं कि “समाज में जितने भी बदलाव होते हैं, वे केवल दिखावा होते हैं, असली बदलाव कभी नहीं आता।” वे दिखाते हैं कि किस प्रकार समाज में ‘दिखावा’ और ‘छद्म’ शोषण का प्रमुख हिस्सा बन गए हैं। परसाई की यह विशेषता है कि वे सरल और सामान्य शब्दों में गंभीर बातों का चित्रण करते हैं, जिससे पाठक को न केवल हास्य का आनंद मिलता है, बल्कि वह समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी महसूस करता है।

समय का परिवर्तन और उसका प्रभाव

‘प्रतिनिधि व्यंग्य’ के माध्यम से परसाई ने समय के परिवर्तन को बखूबी दर्शाया है। वे दिखाते हैं कि किस प्रकार समय के साथ आदमी की मानसिकता, उसकी सोच और कार्य करने की शैली बदलती रहती है, लेकिन मानव स्वभाव में कोई खास अंतर नहीं आता। समय के साथ उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का प्रभाव न केवल समाज, बल्कि व्यक्ति पर भी पड़ता है। परसाई यह मानते हैं कि वक्त हमेशा कच्चा माल ही रहता है, क्योंकि व्यक्ति उसे अपने स्वार्थ और इच्छाओं के अनुसार ढालने की कोशिश करता है। वक्त के साथ विकसित होने वाली परिस्थितियों को स्वीकार करने और

उनसे तालमेल बिठाने के बजाय, व्यक्ति अपने पुराने आदर्शों और मान्यताओं को थोपने की कोशिश करता है, जो कि समाज के लिए हानिकारक साबित होता है।

व्यंग्य की प्रभावशाली शैली

परसाई की लेखनी में व्यंग्य केवल एक साहित्यिक शैली नहीं है, बल्कि यह एक माध्यम है, जिससे वे समाज की बुराइयों, राजनीति की कुटिलताओं और जीवन की बेमानी आदतों पर प्रहार करते हैं। उनकी भाषा सरल और सहज होती है, लेकिन उनके शब्दों में एक तीखापन और गहरी सोच समाहित होती है। वे न केवल तात्कालिक परिस्थितियों पर, बल्कि सार्वभौमिक समस्याओं पर भी व्यंग्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर, वे अक्सर भारतीय राजनीति की विडंबनाओं पर लिखते हैं, जिसमें नेताओं के वादे और उनके वास्तविक कृत्य पर कटाक्ष किया जाता है। उनके व्यंग्य में समाज के 'सार्वभौमिक मूल्य' के खोने पर भी टिप्पणी की जाती है। वे यह दिखाते हैं कि कैसे समाज ने अपनी जड़ों से दूर होकर दिखावे और फिजूल के आदर्शों को अपनाया है। बदलाव का समय में वे लिखते हैं, "तुम जितना दूसरों को बदलने की कोशिश करते हो, उतना ही खुद बदलने की जरूरत होती है।"

मानव स्वभाव की आलोचना

"प्रतिनिधि व्यंग्य" में परसाई ने मानव स्वभाव की आलोचना की है। वे मानते हैं कि आदमी अपनी परिस्थितियों को बदलने में सक्षम नहीं है और वह हमेशा अपनी आदतों और मान्यताओं को बनाए रखने की कोशिश करता है, चाहे वह उसकी सुख-समृद्धि के लिए कितना भी हानिकारक क्यों न हो। परसाई के व्यंग्य लेखों में यह स्पष्ट दिखता है कि वे समाज की उन आदतों और मूल्यों को चुनौती देते हैं, जो व्यक्ति की सोच को संकुचित और पराधीन बना देती हैं। उनके लेखों में व्यक्ति की मानसिकता, उसकी विचारधारा और उसके अस्तित्व के प्रति उसका दृष्टिकोण प्रदर्शित होता है, जो समय के साथ अत्यधिक जटिल और भ्रमित हो चुका होता है। आत्मज्ञान का भ्रम नामक लेख में परसाई जी कहते हैं "जो आदमी दूसरों के लिए सही रास्ता दिखाता है, वह खुद खोया हुआ होता है।" यह उद्धरण उन लोगों की मानसिकता को व्यक्त करता है, जो

दूसरों को सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन स्वयं अपनी जीवन यात्रा में उलझे होते हैं।

समाज की विसंगतियों को उजागर करना

इस पुस्तक में परसाई ने भारतीय समाज की विडंबनाओं पर भी गहरी टिप्पणियाँ की हैं। वे यह बताते हैं कि समाज में व्याप्त असमानताएँ, भ्रष्टाचार और सामाजिक शोषण की खामियां हर किसी के जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। वे यह दिखाते हैं कि समाज का एक बड़ा वर्ग अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं है और वह अपनी स्थिति को लेकर किसी प्रकार की उम्मीद नहीं करता। परसाई के व्यंग्य लेखों में एक गहरी निराशा है, जो समय और समाज के हालातों की आलोचना करती है। वे सवाल उठाते हैं कि क्या हम कभी अपने समाज और राजनीति को सुधारने में सक्षम होंगे, या यह 'व्यवस्था' हमेशा असंगत और अव्यवस्थित रहेगी। एक लेख में लेखक कहता है कि "समाज में बिना देखे-समझे चीजें स्वीकार कर ली जाती हैं, क्योंकि सवाल उठाने की हिम्मत नहीं होती।"

सार-संक्षेप

हरिशंकर परसाई की यह पुस्तक एक उत्कृष्ट व्यंग्य संग्रह है, जिसमें उन्होंने समाज की कुरीतियों, राजनीतिक विषमताओं और मानवीय स्वभाव की गहरी समझ को प्रस्तुत किया है। उनकी लेखनी में हास्य, तीखा व्यंग्य और सत्य का मिश्रण है, जो पाठक को न केवल हंसी से सजीव करता है, बल्कि उसे समाज के प्रति जिम्मेदार भी बनाता है। प्रजातंत्र पर अपने विचार व्यक्त करने हुए वह कहते हैं कि प्रजातंत्र में सबसे बड़ा दोष है, तो यह कि उसमें योग्यता को मान्यता नहीं मिलती, लोकप्रियता को मिलती है। परसाई की दृष्टि समाज के सभी पहलुओं को न केवल सटीक रूप से पहचानने की है, बल्कि उन्हें सुधारने के लिए कुछ कर गुजरने की आवश्यकता को भी महसूस कराती है। 'प्रतिनिधि व्यंग्य' एक कालजयी रचना है, जो आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है और समाज के लिए एक आईना प्रस्तुत करती है।

हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता - विश्व में भारत के बढ़ते प्रभुत्व का प्रमाण



रोहिताश खरीया
प्रबंधक - राजभाषा
जयपुर अंचल

भारत शुरुआती दौर से ही हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है। भारत अनेकता में एकता वाला देश, एक ऐसा देश जहां अनेक सभ्यताओं के लोगों ने आश्रय लिया, जो गत 1000 वर्षों में किसी भी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करने का अद्भुत रिकॉर्ड रखता है। विदेशी लोग अलग-अलग उद्देश्यों से भारत आए कोई ज्ञानार्जन के लिए, कोई आश्रय लेने, कोई व्यापार करने, कोई यहां की धन सम्पदा लूटने के लिए, तो किसी ने अपने धर्म के प्रचार के लिए इसे अपनी कर्मभूमि बनाया। इन सभी में एक बात समान थी वो ये कि जो भी यहां आया वो यहां के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण यहीं का होकर रह गया।

वर्ष 1616 में अजमेर में मुगल राजा जहांगीर से, ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि सर टामस रॉ भारत में व्यापार करने की अनुमति लेने के उद्देश्य से मिला। तत्कालीन बादशाह द्वारा उसे भारत में व्यापार करने की सहर्ष अनुमति मिली। जो सांस्कृतिक विविधता, भारत रूपी शरीर का रक्त थी; उसी सांस्कृतिक विविधता को अंग्रेज घुसपैठिये ने अपनी कुटिल योजनाओं का प्रभावी उपकरण बनाते हुए 'फूट डालो और राज करो' की नीति के आधार पर सत्ता हासिल की। अंग्रेजों ने जब सत्ता हासिल की तब अन्य विदेशी आक्रान्ताओं और अंग्रेजों में मुख्य अन्तर ये था कि इससे पूर्व आने वाले सभी आक्रान्ताओं का उद्देश्य केवल भारत की अपार धन सम्पदा को लूटना मात्र था, जबकि अंग्रेजों ने इस देश की इन्द्रधनुषी सभ्यता को ही मानो समाप्त करने की कार्य-योजना तैयार की थी।

इसी कार्य योजना में सर्वप्रथम भारतीयों के दिमाग में इस विचार को प्रतिस्थापित किया गया कि भारतीय अच्छे प्रशासक नहीं हो सकते अतएव यदि आपको अच्छा प्रशासक बनना है तो अच्छे प्रशासकों के गुण, उनकी भाषा सीखिए एवं उस भाषा में काम करें जिसमें प्रशासक काम करते हैं अर्थात् अंग्रेजी में।

गुरुकुल को नष्ट कर उसे स्कूल / कॉलेजो से प्रतिस्थापित किया गया जो भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान से अपने को लाभान्वित करता था वह इन क्लर्क मैन्यूफैक्चरिंग फैक्टरीज में अंग्रेजी भाषा से ज्ञानार्जन करते हुए प्रशासक बनने के अपने स्वप्न को साकार करने की दौड़ दौड़ने लगा।

सामाजिक-वैचारिक क्रांति, सांस्कृतिक चेतना एवं समग्र प्रयासों के फलस्वरूप देश 190 वर्षों की गुलामी पश्चात पुनः आजाद हुआ, लेकिन इस बार शासन का स्वरूप राजशाही न होकर लोकतान्त्रिक था। सत्ता किसी एक व्यक्ति की इच्छानुसार नहीं होकर व्यवस्थापिका से संचालित की जाने लगी। भाषाई सांस्कृतिक विविधता वाले इस देश में जब किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने पर विचार किया गया तो हिन्दी एक जनमान्य भाषा के रूप में उभरी। स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय में हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा कहा जाता था, आज भी भारतीय जनमानस की सामान्य भावना यही है कि संविधान में वर्णित 'इन्डिया जो कि भारत है' की राष्ट्रभाषा हिन्दी है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने संविधान सभा की बैठक में 13 सितम्बर 1949 की बहस में भाग लेते हुए कहा था कि "विदेशी भाषा से कोई राष्ट्र महान नहीं हो सकता है। कोई भी विदेशी भाषा किसी भी दूसरे देश के आम लोगों की भाषा नहीं हो सकती है। भारत के हित में, भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के हित में, ऐसा राष्ट्र बनाने के हित में, जो अपनी आत्मा पहचाने, जिसे आत्मविश्वास हो, उसके लिए हमें हिन्दी को अपनाना चाहिए।"

इसी के अगले दिन 14 सितम्बर 1949 को यह निर्णय लिया गया कि हिन्दी ही भारत की राजभाषा होगी। इस महत्वपूर्ण निर्णय को रेखांकित करने के लिए तथा हिन्दी का प्रचार करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से सम्पूर्ण

भारत में 14 सितम्बर को प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।

किन्तु वैचारिक मतभेदों एवं द्रविड भाषा भाषियों की माँग पर हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी को राजकीय कार्यों के लिए स्वीकार किया गया एवं अपने लगभग 200 वर्षों के शासनकाल में अंग्रेजों ने व्यवस्थापिका में अपनी भाषा को प्रभावी दिखाने के लिए शिक्षा का जो अंग्रेजीकरण 1835 में किया था वह 112 सालों में इतना प्रभावी हो गया कि देश की स्वतन्त्रता के साथ ही उसने अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कर दी। संविधान में हिन्दी के साथ अंग्रेजी को भी स्थान मिला एवं दैनिक कार्यालयीन कार्यों के लिए अंग्रेजी का प्रभुत्व बना रहा।

किसी भाषा के प्रभुत्व का कारण मुख्य रूप से उसका सत्ता के केन्द्र में होना एवं आर्थिक जगत से संबंधित होना रहा है। अंग्रेजी भाषा इस विषय में अत्यधिक सफल रही है। जिसके कारण भारत में हिन्दी सहित तमाम उन्नत भाषाओं जैसे द्रविड कुल की सभी भाषाएं, बांग्ला या अन्य देशी भाषाएं भी अस्तित्व को कायम रखने के लिए संघर्ष करती सी प्रतीत होती हैं। हिन्दी भाषा सरिता के उस निर्मल जल प्रवाह के समान है जो अपने पथ में आने वाली हर वस्तु को अपने में आत्मसात करती चली जाती है। समय के साथ-साथ हिन्दी अधिक मजबूत होती चली गई है। स्वतन्त्रता के समय जहां हिन्दी के करीब सवा लाख शब्द थे वहीं वर्तमान में यह अपने को छः लाख से अधिक शब्दों के साथ समृद्ध कर चुकी है। भाषा की यह प्रगति बेहद प्रशंसनीय है साथ ही यह भी चिन्ता का विषय है कि एक राष्ट्र के रूप में अभी भी यह भाषा अंग्रेजी को प्रतिस्थापित नहीं कर पाई है।

समस्या का विवेचन करने पर अनेक तथ्य इसके लिए उत्तरदायी लगते हैं, जिसमें वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी का चलन, सत्ता प्रमुखों की उदासीनता, हिन्दी में कार्य करने में हीनता का बोध, अंग्रेजी ज्ञान से अपने आप को श्रेष्ठ मानने की भावना प्रमुख है। हिन्दी को प्रमुख कार्यालयीन भाषा के लक्ष्य से दिशाहीन करते हुए, जिस प्रबल इच्छाशक्ति के साथ कुछ निर्णय जो लिए जाने थे वे नहीं लिए गए। स्कूल/कॉलेजों में भी हिन्दी को शिक्षा की दृष्टि से उच्च स्थान नहीं दिया गया जिसके कारण व्यवस्थापिका में उन्ही प्रशासकों का बाहुल्य रहा जो अंग्रेजी भाषा में ही काम करते हैं फलतः हिन्दी भाषा में काम करने से अधिकारी या तो सकुचाते हैं या काम ही नहीं करते

हैं। इस प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा इस मानसिकता से केवल अंग्रेजी में काम इसलिए किया जाता है कि सभी को इस भाषा का ज्ञान है। सामान्य व्यक्ति गहन भाषाई ज्ञान नहीं होने, अपने अज्ञान के उजागर होने से रोकने के लिए उदासीनता या निष्क्रियता को अपनाते हैं।

सामान्य जन के लिए उन सभी जगहों तक हिन्दी की पहुंच बनाने के लिए प्रभावी कदम नहीं लिए गए, जहां हिन्दी का प्रयोग अति आवश्यक हो। यूरोप के अनेक देश जिनका आकार भारत के कई राज्यों से भी छोटा है वहां सब विवरण स्थानीय भाषा में उपलब्ध हैं जबकि भारतीयों को सामान्य जानकारियां अंग्रेजी में ही उपलब्ध हो पाती है स्थिति ये है कि मूल मसौदा अंग्रेजी में ही तैयार किया जाता है, फिर अनुवाद के प्रति उदासीनता और हिन्दी में सूचना की मुखर मांग का अभाव जन सामान्य पर अंग्रेजी का बोझ लादता है। कारण यह है कि हमने विरासत में अंग्रेजों से कानून तो ले लिए मगर उसमें हिन्दी को अंग्रेजी से प्रतिस्थापित नहीं किया। यही कारण है कि न्याय के लिए आवश्यक मंचों को अभी तक हिन्दी में कार्य करने के लिए निर्देशित नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने तो साफ बता दिया है कि उसके कक्षों में हिन्दी पहुंचने की सम्भावना अभी भी विचाराधीन है जिस देश की जनसंख्या का लगभग 90 फीसदी हिस्सा प्रभावी रूप से अंग्रेजी नहीं जानता हो तो ऐसी स्थिति में जब पूरा देश हिन्दी दिवस मनाता है तो एक वास्तविक हिन्दी प्रेमी के मन में टीस उठती है कि हम अपनी भाषा को एक दिन मना कर क्यों रह जाते हैं?

कुल जनसंख्या का 10% भाग ही काम में ले सकने लायक अंग्रेजी का ज्ञान रखता है। शेष भारत द्वारा अधिक गम्भीरता के साथ स्व भाषा को प्राथमिकता दिए जाने के कारण आज परिस्थिति में बेहद परिवर्तन आया है। मनोरंजन उद्योग ने हिन्दी को सम्पूर्ण विश्व में पहचान दिलाई है। बॉलीवुड फिल्मों ने हिन्दी को विश्व के ऐसे अछूते कोनों में भी पहुंचाया है जहां भाषाई प्रचार प्रसार की दृष्टि से इस पर कभी सोचा भी नहीं गया। छोटे पर्दे के मनोरंजन ने हिन्दी को दक्षिणी राज्यों सहित अनेक देशों में लोकप्रिय किया है। सभी चैनल हिन्दी में उपलब्ध हुए हैं। विश्व में हिन्दी सीखने की चाह बढी है, विश्व के 80 देशों में हिन्दी सीखने के लिए यूनिवर्सिटी स्तर पर कोर्स चलाए जा रहे हैं। अमेरिका, रूस, मॉरीशस, कनाडा, फिजी ने तो अलग से हिन्दी यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, कोरिया तथा

जापान की कम्पनियों ने भारत स्थित अपने कार्यालयों में काम करने के लिए अपने नागरिकों के लिए हिन्दी ज्ञान होना अनिवार्य किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने चुनावों के दौरान जारी किया जाने वाला अपना मैनिफेस्टो विश्व की कुल 120 भाषाओं में जारी किया जिसमें हिन्दी सहित 20 भारतीय भाषाएं शामिल हैं।

प्रबुद्ध युवा भारत द्वारा स्वभाषा के प्रति प्रेम प्रदर्शन एवं हिन्दी की माँग ने समस्त कम्पनियों को भारत में अपनी व्यवसाय नीति में परिवर्तन करने पर विवश कर दिया। संचार, सूचना प्रौद्योगिकी में अभिव्यक्ति अपनी भाषा में प्रस्तुत करने की चाह ने हिन्दी को सर्वत्र उपलब्ध किया है। ऐसी कम्पनियां जो भारत में व्यापार के लिए अंग्रेजी को ही उपयोग में ले रही थी, उन्होंने भी हिन्दी को अपना लिया है यही कारण है कि कम्प्यूटर क्षेत्र की दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट सहित सभी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अपने विज्ञापन हिन्दी में देने प्रारम्भ कर दिए, सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हिन्दी भाषा पूर्वस्थापित मिलने लगी। हिन्दी के प्रचार प्रसार का कार्य जो केवल भारत सरकार तक ही सीमित था, को बाजार मांग के अनुसार भुनाने के लिए इन कम्पनियों ने अपने हाथ में ले लिया फलस्वरूप अनेक कम्पनियों ने विज्ञापन तथा पंचलाईन केवल हिन्दी भाषा में देना आरम्भ कर दिया।

यह हिन्दी का बढ़ता प्रभुत्व ही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति सहित कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जब भारत आकर कहीं भाषण देता है तो हिन्दी में भी कुछ बोलने का प्रयास करता है। अनेक देशों के राष्ट्रप्रमुखों ने कोविड -19 के दौरान भारत द्वारा वैक्सीन उपलब्ध कराए जाने पर आभार व्यक्त करने के लिए हिन्दी का प्रयोग किया। ये देश के प्रभुत्व को बढ़ाने के गर्व के साथ जन-मानस में हिन्दी की सशक्तता का गौरव अनुभव करने वाली अनुभूति रही। पूरे भारत में हिन्दी अपना विस्तार कर चुकी है। स्कूल / कॉलेजों में भी हिन्दी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़ रही है। कुल मिलाकर युवा भारतीयों के अपनी भाषा के प्रति प्रेम एवं इच्छाशक्ति का ही परिणाम है कि हिन्दी इतने व्यापक रूप में प्रयुक्त होने लगी है। हिन्दी के प्रति सदविचारों का संकलन इस प्रकार है:

हिन्दी, भावों की अभिव्यक्ति है,
हिन्दी, हम सब का अभिमान है,
हिन्दी, साहित्य का असीम सागर है,
हिन्दी, राष्ट्र के माथे की बिंदी है।।

लक्ष्य

लक्ष्य तुम्हारा पंथ तुम्हारा, प्रगति पूर्ण यह कदम तुम्हारे,
किस पर दोष रखोगे बोलो चलने में यदि तुम ही हारे।

कुम्हारों की द्रणता से ही मिट्टी को मिलता आकार,
बिना थपेड़ों के मिट्टी भी धूल बनकर उड़ जाती है।

तूफानों से ही नैया खेकर के सच्चे नाविक हैं सुख पाते,
उलझन के सागर में ही तो सुलझन के मोती मिल पाते।

बुलंद हौसलों की चट्टानों के आगे क्या नदियां और नाले,
किस्मत दुल्हन पास खड़ी है कर्मठता का घूँघट डाले।

तुम्हें अंधेरा क्या घेरेगा तुममे है यौवन की बाती,
कर ले साहस और निकल पड़ शेरों की भांति।

कर के बेजोड़ मेहनत अगर असफलता को
सफलता बना न पाये,
तो तो फिर किस पर दोष रखोगे बोलो चलने में
यदि तुम ही हारे।

अपूर्व मिश्रा
प्रबंधक विधि
कानपुर अंचल



पुरी का जगन्नाथ मंदिर



आदित्य कुमार ठाकुर
ऋण निगरानी विभाग
बर्धमान आंचलिक कार्यालय

ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर हमारे देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यह पवित्र स्थल न केवल धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है, बल्कि इतिहास और परंपराओं के स्मारक के रूप में एक महत्वपूर्ण विरासत स्थल भी है। मंदिर की वास्तुकला की भव्यता विश्वविख्यात है, यहाँ के सांस्कृतिक उत्सव और आध्यात्मिक प्रभाव इस स्थान को तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। पुरी में स्थित सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर न केवल एक अद्भुत वास्तुशिल्प कला का उदाहरण है, बल्कि पौराणिक महत्व का एक स्थान भी है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा से जुड़ी पौराणिक कथाएँ, साथ ही मंदिर की ऐतिहासिक कथाएँ, इस स्थल की पवित्र आभा और सांस्कृतिक पहचान में समृद्ध योगदान देती हैं। मंदिर के अस्तित्व के संबंध में एक लोकप्रिय कथा में बताया गया है कि कैसे शूरतकल के राजा इंद्रद्युम्न, ईश्वर की पूजा करने के लिए उत्सुक थे, दैवीय मार्गदर्शन द्वारा जगन्नाथ की मूर्ति की खोज करने के लिए निर्देशित किया गया था। देवता की कल्पना एक लकड़ी की मूर्ति के रूप में की गई थी, जिसे एक पवित्र वृक्ष से उकेरा गया था। मिथक यह है कि राजा को भविष्यसूचक स्वप्न दिखे, जो उन्हें एक सुनसान समुद्र तट पर ले गए जहाँ उन्होंने दिव्य लकड़ी की खोज की। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के चमत्कारी प्रकटीकरण का अनुभव करने के बाद, मंदिर का निर्माण किया गया।

पौराणिक कथाओं के अनुसार, जगन्नाथ मंदिर के देवता को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु की सर्वव्यापी प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि बलभद्र को उनका बड़ा भाई और सुभद्रा को उनकी बहन माना जाता है। इन देवताओं की उत्पत्ति की कहानी ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण सहित कई प्राचीन ग्रंथों से जुड़ी हुई है। यह भारत में चार धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। दुनिया भर से लाखों भक्त यहां आते हैं, जो इसे संस्कृतियों और परंपराओं का एक मिश्रण बनाता है। यह मंदिर विशेष रूप से वार्षिक रथ यात्रा (रथ महोत्सव) के लिए प्रसिद्ध है।

आरएसटीएच यात्रा के दौरान देवताओं को विशाल, खूबसूरती से सजाए गए रथों में पुरी की सड़कों पर घुमाया जाता है। यह आयोजन जगन्नाथ संस्कृति की समावेशी प्रकृति का प्रतीक है, जो इस विश्वास को दर्शाता है कि सभी भक्त, चाहे वे किसी भी वर्ग के हों, ईश्वर से सीधा संबंध रख सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर कलिंग वास्तुकला का एक अनुकरणीय प्रतिनिधि है, जो अपनी राजसी संरचना और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है। 12वीं शताब्दी में निर्मित, मंदिर का ऊंचा शिखर प्रभावशाली ढंग से बनाया गया है, जो मीलों दूर से दिखाई पड़ता है। यह प्राचीन कारीगरों के अद्भुत कौशल को दर्शाता है। मंदिर के मुख्य देवता प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा गर्भगृह में विराजमान हैं। मंदिर के डिजाइन की उत्कृष्टता, इसके बारीकी से की गई नक्काशी वाले पत्थरों के स्तम्भ, विस्तृत मूर्तियां और विशाल प्रांगण, उस काल के शिल्प कौशल के उच्च स्तर को दर्शाते हैं। मंदिर की वास्तुकला न केवल इसके निर्माताओं के सौंदर्य बोध को उजागर करती है, बल्कि हिंदू धर्म के गहन आध्यात्मिक दर्शन के प्रतीकात्मक तत्वों को भी उद्घृत करती है।

भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण पौराणिक परंपरा वार्षिक रथ यात्रा या रथ उत्सव है। यह भव्य आयोजन देवताओं की उनके मंदिर निवास से गुंडिचा मंदिर तक की यात्रा का प्रतीक है, जहाँ वे नौ दिनों तक रहते हैं। यह त्यौहार भगवान जगन्नाथ के अपने भक्तों के प्रति प्रेम और दुनिया का अनुभव करने की उनकी इच्छा का द्योतक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, रथ यात्रा ईश्वरीय और नश्वर क्षेत्र के बीच एकता का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान देवता अपने दिव्य निवास से नीचे उतरकर अपने भक्तों को गले लगाते हैं, जिससे उन्हें अपने जीवन में दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है। अपने विशाल रथों पर देवताओं का दर्शन दैवीय सुलभता का एक ज्वलंत चित्रण है और देवताओं और उनके उपासकों के बीच गहरे बंधन का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों का पौराणिक महत्व बहुत अधिक है। पारंपरिक हिंदू

मूर्तियों के विपरीत, जगन्नाथ की मूर्तियों को बड़ी, गोल आँखों और एक अलग रूप के साथ चित्रित किया जाता है जो भावनात्मक जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है। यह असामान्य चित्रण जगन्नाथ पूजा की समावेशिता का प्रतीक है; हर भक्त, चाहे वह किसी भी सामाजिक स्थिति का हो, ईश्वर से जुड़ सकता है। मूर्तियों पर विस्तृत चेहरे की विशेषताओं की अनुपस्थिति को निराकारता के प्रतिनिधित्व के रूप में भी व्याख्यायित किया जा सकता है - जो इस बात पर जोर देता है कि भगवान भौतिक रूपों और गुणों से परे हैं। भगवान जगन्नाथ के रूप को करुणा और दया के आध्यात्मिक अवतार के रूप में देखा जाता है, जो इस विश्वास को दर्शाता है कि बाहरी दिखावे से परे, सभी में दिव्यता निवास करती है।

मंदिर में अनेक अनुष्ठान, त्यौहार और समारोह भी होते हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, जो मानव समुदाय में आपसी पहचान और अपनेपन की भावना भरते हैं। दैनिक अनुष्ठान, प्रसाद और देवताओं को खिलाने की अनूठी प्रथा, जिसे 'महाप्रसाद' के रूप में जाना जाता है, आध्यात्मिक परिवेश का निर्माण करती है, जिससे आगंतुक भक्ति और श्रद्धा के साझा अनुभव को प्राप्त करते हैं। अपने धार्मिक महत्व से परे, जगन्नाथ मंदिर एक सांस्कृतिक केंद्र है जो स्थानीय परंपराओं और कलाओं को संरक्षित करता है। मंदिर परिसर शास्त्रीय नृत्य और संगीत सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शनों के लिए एक स्थल के रूप में कार्य करता है, जो अक्सर ओडिशा की समृद्ध विरासत को उजागर करता है। इसके अतिरिक्त, मंदिर स्थानीय शिल्प से निकटता से जुड़ा हुआ है, जिसमें रथ यात्रा के लिए प्रतिष्ठित रथों का निर्माण और भगवान जगन्नाथ के जीवन के दृश्यों को दर्शाने वाले जटिल पाटचित्र (पारंपरिक कपड़े की पेंटिंग) शामिल हैं। हिंदू दर्शन में भगवान जगन्नाथ को अक्सर पुरुषोत्तम या सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह शब्द दर्शाता है कि जगन्नाथ परम आदर्श हैं तथा भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच एक सेतु का काम करते हैं। उनकी पौराणिक कथाओं में पारलौकिकता, प्रेम और भक्ति के तत्व शामिल हैं, जो उनके अनुयायियों के दिलों में गहराई से गूँजते हैं। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ के प्रति भक्ति का प्रतीक है, जहाँ भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण पर जोर दिया जाता है। इसकी दीवारों के भीतर मंत्रों का निरंतर जाप, अनुष्ठान और प्रार्थनाएँ इस विश्वास की पुष्टि करती हैं कि भक्ति के माध्यम से, नश्वर ईश्वर से जुड़ सकते हैं।

मुख्य कथाओं के अलावा, कई स्थानीय किंवदंतियाँ और मिथक भी मंदिर के आकर्षण में योगदान देते हैं। ऐसी ही एक किंवदंती भगवान जगन्नाथ और महान ऋषि वेद व्यास के मध्य

मुलाकात के बारे में है, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने महाभारत की रचना से पहले प्रेरणा के लिए भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की और फिर भगवान ने उन्हें ब्रह्मांड के अस्तित्व के बारे में गहन सत्य बताया। एक अन्य मिथक, 'नबाकलेबारा' के अनुसार हर बारह से उन्नीस साल में देवताओं के लकड़ी के रूपों का नवीनीकरण, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की चक्रीय प्रकृति को दर्शाते हैं। यह अनुष्ठान देवताओं की पौराणिक कहानियों और मानव समुदाय की जीवन और दिव्यता की धारणा के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। जगन्नाथ मंदिर की विरासत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। मंदिर की वास्तुकला की अखंडता और सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखने के लिए सरकार और स्थानीय संगठन दोनों ही प्रयास करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मंदिर को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में मान्यता दी गई है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि इसकी विरासत भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे।

पुरी में जगन्नाथ मंदिर विरासत का एक कालातीत प्रतीक है, जो भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और कलात्मकता की समृद्ध ताने-बाने का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी वास्तुकला का चमत्कार, गहन धार्मिक महत्व और जीवंत सांस्कृतिक प्रथाओं के साथ मिलकर, विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को आकर्षित करता है, जिससे एकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। इस अमूल्य विरासत के संरक्षक के रूप में, समुदाय और सरकार दोनों के लिए यह अनिवार्य है कि वे ऐसी स्थायी प्रथाओं को अपनाएँ जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस पवित्र स्थल के संरक्षण को सुनिश्चित करें। जगन्नाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है; यह भारतीय सभ्यता की स्थायी विरासत का एक जीवंत प्रमाण है, जो परंपराओं को मूर्त रूप देता है जो लगातार पनपती और प्रेरित करती रहती हैं। पुरी जगन्नाथ मंदिर का पौराणिक महत्व केवल कहानी कहने तक ही सीमित नहीं है; यह भक्ति के आध्यात्मिक सार और ईश्वरीय उपस्थिति में विश्वास को समाहित करता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक अभ्यास के स्मारक के रूप में कार्य करता है, बल्कि जीवंत परंपरा के रूप में भी विद्यमान है जो प्रेम, बलिदान और ईश्वर की खोज की प्राचीन कहानियों को प्रतिध्वनित करता है। अपनी किंवदंतियों, त्यौहारों और अनुष्ठानों के माध्यम से, जगन्नाथ मंदिर पौराणिक कथाओं का एक ऐसा ताना-बाना बुनता है जो अनगिनत भक्तों को प्रेरणा और मार्गदर्शन देता है, जिससे आध्यात्मिकता के एक स्मारक केंद्र के रूप में इसकी स्थिति चिरस्थायी हो जाती है।

आधुनिक इतिहासकारों के दृष्टिकोण से रामायण का विवेचन



डॉ. निलीमा
व्याख्याता इतिहास
परिजन डॉ. नीरज चतुर्वेदी
रांची अंचल

इतिहासकार रामायण का विश्लेषण करते हुए इसे एक धार्मिक या सांस्कृतिक ग्रंथ से आगे बढ़कर प्राचीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक व्यवस्थाओं का प्रतिबिंब मानते हैं। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार आर. सी. मजूमदार का कथन है कि “रामायण एक धार्मिक ग्रंथ मात्र नहीं है, अपितु एक ऐतिहासिक कथा भी है जो वैदिक और उत्तर-वैदिक मूल्यों के सार को निरूपित करती है, जिससे प्राचीन भारतीय सभ्यता के विकास को समझना संभव हो जाता है।”

रामायण एक महाकाव्य या काव्यों का संगमः

इतिहासकार मानते हैं कि आदि कवि बाल्मीकि के पूर्व भी राम-कथा संबंधी आख्यान-काव्य प्रचलित था, जिसके आधार पर बाल्मीकि ने रामायण लिखी है। अनेक विद्वानों की धारणा है कि बाल्मीकि ने पहले दो अथवा तीन नितान्त स्वतंत्र आख्यान एक ही कथा-सूत्र में बांध कर राम-कथा की सृष्टि की है। इतिहासकार डा. वेबर के अनुसार राम-कथा का मूल रूप बौद्ध दशरथ जातक में सुरक्षित है। इस कथा में सीताहरण तथा रावण-युद्ध का कोई उल्लेख नहीं मिलता। डा. वेबर का अनुमान है कि सीताहरण की कथा का मूल स्रोत संभवतः होमर में वर्णित पेरीस द्वारा हेलेन का हरण है और लंका में जो युद्ध हुआ उसका आधार संभवतः यूनानी सेना द्वारा ट्राय का अवरोध है।

इस मत के अनुसार राम कथा के दो प्रधान मूल स्रोत होते हैं, “दशरथ जातक” तथा “होमर का काव्य”। दशरथ-जातक राम कथा का एक आधार है, इससे अब तक कई विद्वान सहमत हैं, लेकिन होमर के काव्य को रामायण अथवा राम कथा का एक आधार मानने के लिए ए. वेबर को छोड़कर कोई भी तैयार नहीं है। प्रारम्भ से ही प्रायः सभी विद्वानों ने इसका विरोध किया है। यवनों, पल्लवों तथा शकों आदि का समस्त प्रामाणिक रामायण में कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है। होमर के काव्य में नावों को बहुत महत्व दिया जाता है। यदि बाल्मीकि इससे परिचित होते तो उन्होंने सेना को समुद्र के पार पहुँचाने के लिए सेतु के स्थान पर नावों का ही सहारा लिया होता। होमर तथा बाल्मीकि की रचना में जो साम्य है (स्त्री का हरण

तथा धनुष-संग्रहण) वह इतना सामान्य और साधारण है कि जब तक उन विशेषताओं में कोई साम्य नहीं मिलता तब तक पारस्परिक प्रभाव मानने की आवश्यकता नहीं है।

डॉ. वेबर ने बौद्ध साहित्य में होमर के अन्य वृत्तान्त भी दिखलाए हैं। लेकिन ये उद्धरण पहले पहल महावंश तथा बुद्धघोष की रचना में विद्यमान हैं। ये दोनों ग्रंथ पांचवीं श. ई. के हैं, अतः उनकी रचना बाल्मीकि की आठ शताब्दियों के बाद हुई थी। इनसे बाल्मीकि के मूल स्रोत होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। डा. वेबर की भांति डा. याकोबी भी राम-कथा के दो प्रधान आधार मानते हैं। उनका कहना है कि रामायण की राम-कथा स्पष्टतया दो स्वतंत्र भागों के संयोग से उत्पन्न हुई है। प्रथम भाग अयोध्या की घटनाओं से संबंध रखता है और इसमें दशरथ प्रधान नायक हैं। द्वितीय भाग में दण्डकारण्य तथा रावण-वध संबंधी कथा मिलती है, इसका मूल स्रोत वेदों की देवता संबंधी कथाएँ प्रतीत होती हैं। डा. याकोबी के इस मत का समर्थन आज भी बहुत से विद्वान करते हैं।

डॉ. याकोबी रामायण का प्रथम भाग, अर्थात् अयोध्या की घटनाएँ ऐतिहासिक मानते हैं। मूल कथा संभवतः इस प्रकार थी कि कोई राजकुमार घर से निर्वासित होकर इक्षुमति के तट को छोड़कर सरयू के तटवर्ती कोशल देश पर अधिकार प्राप्त करता है। बाद में जब उसके इक्षुमति पर निवास का स्मरण न रहा तो वह अयोध्या से ही निर्वासित माना गया। रामायण के द्वितीय भाग का आधार निर्धारित करने के लिए डा. याकोबी वैदिक साहित्य का सहारा लेते हैं। वैदिक काल में न तो रामायण था और न तो राम-कथा संबंधी गाथाएँ प्रचलित थीं। डा. याकोबी इस निर्णय से असहमत नहीं हैं लेकिन यह स्वीकार करते हुए भी कि सीता, कृषि की अधिष्ठात्री देवी, का वैदिक साहित्य में न तो कोई चरित्र-चित्रण मिलता है, न इनके विषय में कोई कथा-वस्तु ही मिलती है और न ही इनकी कोई ऐतिहासिकता का ही प्रमाण है, फिर भी वैदिक सीता के व्यक्तित्व से रामायण की सीता विकसित हुई और वैदिक साहित्य में राम-कथा के द्वितीय भाग का सूत्रपात मिलता है। यही डा. याकोबी तथा कुछ अन्य विद्वानों का मत है।

सीता और राम:

डॉ. याकोबी की धारणा है कि रामायण के प्रधान पात्रों का प्रतिबिम्ब वैदिक साहित्य के देवताओं में देखा जा सकता है। उनके अनुसार रामायण की सीता तथा वैदिक सीता की अभिन्नता असंदिग्ध है। इसके अतिरिक्त गृहसूत्रों में सीता “पर्जन्यपत्नी” तथा “इन्द्रपत्नी” कही गयी है। इससे स्पष्ट है कि राम इन्द्र का एक अन्य रूप मात्र है। वैदिक काल के पशुपालन करने वाले आर्यों के देवता इन्द्र बाद के कृषकों के लिए परिवर्तित होकर “राम” बन गए हैं। पूर्व भारत में वह “रामदशरथि” के रूप में तथा पश्चिम में “बलराम” के रूप में स्वीकृत किए गए थे। बलराम और इन्द्र दोनों मद्यप हैं। यह विशेषता उनकी मौलिक अभिन्नता की ओर निर्देश करती है। राम दशरथ और इन्द्र की अभिन्नता को प्रमाणित करने के लिए डा. याकोबी इन्द्र के दो प्रसिद्ध कार्यों का प्रतिबिम्ब रामायण में देखते हैं।

इन्द्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वृत्रासुर का वध, वैदिक साहित्य में प्रसिद्ध है। इन्द्र इस वृत्रासुर को (जो ऋग्वेद में “अहि” कहा गया है) मानते हैं और पर्वतों में रोका हुआ पानी विमुक्त कर देते हैं। सायण के अनुसार वृत्र का अर्थ मेघ है, जिसमें पानी वृत्र के ही द्वारा रोका जाता है। इन्द्र और वृत्र का यह वृत्तान्त राम और रावण के युद्ध के रूप में प्रतिबिम्बित होता है। अतः रावण और वृत्र का मूलरूप एक है। इसके अन्य लक्षण भी मिलते हैं - रावण के पुत्र मेघनाद की उपाधि इन्द्रजीत और उसका भाई कुम्भकर्ण एक गुफा में रहकर एक वृत्र का स्मरण दिलाता है।

इन्द्र का दूसरा कार्य पणियों द्वारा चुराई हुई गायों की पुनः प्राप्ति है (ऋग्वेद 2, 10)। देवशुनी सरमा, रसा नदी को पार करके इन गायों का पता लगाती है (ऋग्वेद 10, 108)। वैदिक काल के पशुपालन करने वाले आर्यों के लिए गायों का जो स्थान था, वही कृषकों के लिए खेतों की सीता का था, फलस्वरूप गायों का हरण सीताहरण में बदल गया। जिस तरह से सरम इन्द्र की सहायता करती है उसी तरह हनुमान राम के लिए सीता की खोज करते हैं। तथापि, राम का व्यक्तित्व इन्द्र की कथाओं से विकसित हुआ हो, यह तो शान्तिपर्व के प्रसंग के विरुद्ध है। वहां 16 राजाओं के संक्षिप्त वृत्तांत दिए गए हैं - सब महान थे लेकिन सबके सब मर गए। इसके अतिरिक्त शान्ति पर्व के वृत्तांत में एक वाक्य मिलता है जिससे स्पष्ट है कि वह विकसित राम-कथा पर निर्भर है।

‘च चतुर्दश वर्षाणि वने प्रोष्य महातपाः।’

“दशाश्वमेधां जारूथ्यानाजहार निरर्गलान् ।।”

इसमें 14 वर्षों तक वनवास के बाद दस अश्वमेधों का स्पष्ट उल्लेख है। ई. हापकिन्स के अनुसार वनवास का अभिप्राय यहां वानप्रस्थाश्रम से है, लेकिन एक तो चौदह वर्ष राम-कथा का स्मरण दिलाता है और दूसरे वनवास के बाद ही अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है

अतः वहां राम के वानप्रस्थाश्रम का अर्थ युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है। डॉ. वान नेगेलेन के अनुसार भी राम-कथा वैदिक साहित्य से ही विकसित हुई है। वास्तव में उनका मत कष्ट कल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। संक्षेप में - पुरुरवा - उर्वशी (ऋग्वेद 10, 95) आदि अप्सराओं का मनुष्यों के साथ विवाह राम-कथा का बीज है। सीता-सौन्दर्य और उनके अलौकिक जन्म का उल्लेख उनके अप्सरा होने का निर्देश है। सीता पृथ्वी के मानवीकरण का परिणाम है। राम और पृथु वेन्य (ऋग्वेद 1. 112. 15) अभिन्न हैं। पृथु पृथ्वी का पुलिग मात्र है।

ब्रिटिश इतिहासकार जॉन ब्रॉकिंगटन ने कहा है कि रामायण का नायक, राम, समय के साथ विभिन्न रूपांतरणों से गुजरा है, प्रारंभिक संस्करणों में वह एक योद्धा राजकुमार थे और बाद में उन्हें हम एक दैविक अवतार के रूप में पहचानने लगे। उनके चरित्र का यह विकास सामाजिक और आध्यात्मिक वैचारिकता में बदलाव के क्रम को दर्शाता है।

हनुमान :

आजकल हनुमान विशेषकर गांवों में लोकप्रिय हैं। इनका रामायण में जो चरित्र-चित्रण हुआ है, वह इस लोकप्रियता का एकमात्र कारण नहीं हो सकता। अतः डा. याकोबी अनुमान करते हैं कि हनुमान कृषि संबंधी कोई देवता थे। संभवतः वर्षाकाल का अधिष्ठाता देवता। वह तो वायु के पुत्र हैं। बादलों के समान कामरूपि हैं और आकाश में उड़ते हैं। वह दक्षिण की ओर से, जहाँ से वर्षा आती है, सीता अर्थात् कृषि के संबंध में शुभ समाचार के लिए राम के पास पहुँचते हैं। इसके अतिरिक्त इन्द्र का एक नाम 'शिप्रवत्' (ऋग्वेद 6. 17, 2) है। निरुक्त में लिखा है - शिप्रे हनु नासिके वा, अतः इससे इन्द्र और हनुमान इन दोनों वर्षा-देवताओं का संबंध निर्दिष्ट होता है।

लक्ष्मण :

लक्ष्मण राम के सहायक मात्र हैं। वे कहीं भी घटनाओं की प्रगति को बदलने की चेष्टा नहीं करते। फिर भी उनका वैदिक मित्र से संबंध असंभव नहीं है क्योंकि वे तो सुमित्रा के पुत्र ही हैं। रामायण के अन्य पात्रों और घटनाओं के विषय में डा. याकोबी बहुत दृढ़ने पर भी वैदिक साहित्य में कोई समानता नहीं पा सके। ई. हापकिन्स के अनुसार महाभारत के शान्तिपर्व में वर्णित राम-कथा से डा. याकोबी के मत की पुष्टि होती है। इस कथा में जो राम का चरित्र मिलता है वह प्राचीन देवता संबंधी आख्यान पर निर्भर प्रतीत होता है। बाद में इससे सीता कृषि की अधिष्ठात्री देवी, की कथा जोड़ दी गयी है और अन्त में बाल्मीकि ने रावण, हनुमान, लंका आदि के वृत्तान्त लेकर उसे और बढ़ाया है।

बैंक परिसर स्थानांतरण में सुरक्षा पहलू और सिक्योरिटी गैजेट्स की स्थापना: एक विश्लेषण



लेफ्टिनेंट कमांडर
शाशांक केकरे
वरिष्ठ प्रबंधक (सुरक्षा)
प्रधान कार्यालय

बैंकिंग सेक्टर में शाखाओं का स्थानांतरण एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें सुरक्षा पहलुओं पर विशेष ध्यान देना अनिवार्य होता है। नए स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था और सिक्योरिटी गैजेट्स की सही तरह से इंस्टॉलेशन से न केवल बैंक की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बल्कि शाखा के बुनियादी ढाँचे में, ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी में और नकदी लेन-देन में सुरक्षा भी बनी रहती है। इस लेख में, हम बैंक परिसर के स्थानांतरण के दौरान सुरक्षा के पहलुओं पर ध्यान देंगे और सिक्योरिटी गैजेट्स के इंस्टॉलेशन के महत्व पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

1. बैंक परिसर स्थानांतरण और सुरक्षा

क) सुरक्षा की आवश्यकता

बैंक परिसर का स्थानांतरण कई कारणों से किया जा सकता है, जैसे कि बढ़ती ग्राहक संख्या, ग्राहकों की सहूलियत, बेहतर स्थान की खोज, या मौजूदा भवन में मरम्मत की आवश्यकता। किसी भी प्रकार के स्थानांतरण के दौरान सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय होती है। नए स्थान पर सुरक्षा सुनिश्चित करना इसलिए आवश्यक है ताकि बैंक की संपत्ति और ग्राहकों की जानकारी सुरक्षित रह सके।

ख) सुरक्षा योजना का निर्माण

स्थानांतरण की योजना बनाते समय सुरक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक है। एक ठोस सुरक्षा योजना तैयार करनी चाहिए, जिसमें मौजूदा सुरक्षा मानकों का मूल्यांकन जैसे- नए स्थान पर संभावित खतरों की पहचान, पुलिस/प्रशासनिक व्यवस्थाओं से निकटता, उपलब्ध परिसर की स्थिति (ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट या उठे हुए प्लेटफॉर्म पर) और आवश्यक सुरक्षा उपायों (शाखा के भीतर और दूसरी शाखाओं के मध्य सुरक्षित नकदी की आवाजाही और

आपातकालीन स्थिति में स्टाफ की सुरक्षित निकासी इत्यादि) की योजना शामिल हो। एम्पैनलड आर्किटेक्ट द्वारा बनाए हुए नक्शे (मैप) में सुरक्षा उपकरण (सिक्योरिटी एक्विपमेंट) जैसे की लॉकर, स्ट्रॉंग रूम डोर, ज्वेल सेफ़, कैश सेफ़, एफ़.आर.एफ़.सी. इत्यादि रखने हेतु पर्याप्त जगह और विशेषकर पर्याप्त ऊँचाई (हाईट) होनी चाहिए। कैश सेफ़ से कैश काउंटर तक नकदी आवाजाही की दूरी कम से कम होनी चाहिए।

ग) नए परिसर में लगने वाले अतिरिक्त नवीन सुरक्षा उपकरण जैसे कि ज्वेल सेफ़, कैश सेफ़ आदि की जानकारी कम से कम दो महीने पहले, लिखित में आंचलिक कार्यालय / परिसर विभाग (अथवा सामान्य परिचालन विभाग) को सूचित करना चाहिए ताकि समय रहते उन्हें खरीदा जा सके।

घ) सुरक्षित प्रवेश/निकासी के लिए एग्रेस रोड

आंचलिक कार्यालय की परिसर समिति, नई परिसर के चयन के समय इस बात का ध्यान रखें की व्यक्तियों की सुरक्षित निकासी तथा आपातकालीन स्थिति में फ़ायर ब्रिगेड / दमकल कर्मियों हेतु परिसर के समक्ष पर्याप्त जगह उपलब्ध रहनी चाहिए।

2. स्थानांतरण में सुरक्षा पहलू

क) संसाधनों की सूची: मौजूदा सिक्योरिटी गैजेट्स और संसाधनों की सूची तैयार करें। यह सूची नए स्थान पर सही ढंग से स्थापित करने में मदद करेगी। इसमें विशेषकर संबद्ध शाखा को सिक्योरिटी गैजेट्स के पुनः इंस्टॉलेशन हेतु वेंडर का संपर्क साधन और टेकनिशियन की सूची होनी चाहिए।

ख) एम्पैनलड आर्किटेक्ट का बनाया हुआ नक्शा (मैप) प्राप्त कर सिक्योरिटी गैजेट्स के वेंडर से साझा (शेयर) करना चाहिए जिससे वे नए परिसर का सर्वेक्षण कर इंस्टॉलेशन मैप प्लान और

बजटरी एस्टीमेट तैयार कर सकें। इसी बजटरी एस्टीमेट पर आंचलिक सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी (फाईनेशियल सैंक्शन) के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए।

ग) तय इंस्टॉलेशन मैप प्लान के अनुसार शाखा परिसर स्थानांतरण के पूर्व केबलिंग का कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। इस कार्रवाई से वेंडर और शाखा को स्पष्टता रहती है और परिसर स्थानांतरण के दिन किसी भी पक्ष को तनाव नहीं होता। तथापि केबलिंग का कार्य यदि पूर्ण हो तो परिसर स्थानांतरण के दिन केवल सेंसर स्थापित करने में आसानी होती है। इसके अतिरिक्त, शाखा का नए परिसर में स्थानांतरण पश्चात सुरक्षा निरीक्षण होने से प्रणालियों के सुचारू होने की जाँच की जा सकती है।

घ) सिक्योरिटी गार्ड्स: स्थानांतरण के पहले नए परिसर में संवेदनशीलता का समुचित आकलन कर, अस्थाई रूप से, अल्प अवधि के लिए बैंक सुरक्षा गार्ड्स की व्यवस्था आंचलिक सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के साथ की जा सकती है। यदि शाखा छोटी है और बहुमूल्य वस्तुएँ अधिक नहीं हैं तो स्थानीय पुलिस को निवेदन कर गश्ती (पेट्रोलिंग) वाहन की तैनाती कर यह व्यय बचाया भी जा सकता है। गार्ड्स को नए स्थान के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित/निर्दिष्ट करें।

ड) सर्विस प्रदाताओं के साथ समन्वय: स्थानांतरण के दौरान सिक्योरिटी गैजेट्स के इंस्टॉलेशन के लिए सर्विस प्रदाताओं से समन्वय स्थापित करें। इसमें बिजली, यू.पी.एस. और अन्य सेवाओं के प्रदाता शामिल हो सकते हैं।

3. सिक्योरिटी गैजेट्स की स्थापना

सीसीटीवी कैमरे

क) कैमरे की स्थिति: नए स्थान पर सीसीटीवी कैमरों की सही स्थिति का चयन करें। कैमरे का स्थान ऐसा हो कि वह सभी संवेदनशील क्षेत्रों को कवर कर सके, जैसे कि प्रवेश द्वार, काउंटर, और बैंकिंग हॉल क्षेत्र इत्यादि।

ख) रिज़ॉल्यूशन और स्टोरेज: बैंक द्वारा तय मानक के अनुसार ही समुचित रिज़ॉल्यूशन के कैमरे का चयन करें जो स्पष्ट छवियाँ प्रदान कर सकें। इसके अलावा, उक्त प्रणाली में वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करें ताकि रिकॉर्डिंग बैंक द्वारा प्रचलित मानक समय तक सुरक्षित रह सके।

ग) नेटवर्क सेटअप: कैमरों को नेटवर्क से जोड़ने के लिए आवश्यक सेटअप करें और सुनिश्चित करें कि सभी कैमरे सही ढंग से काम कर रहे हैं।

अलार्म सिस्टम

घ) अलार्म के प्रकार: नए परिसर में बैंक द्वारा तय मानक के अनुसार ही समुचित अलार्म सिस्टम स्थापित करें, जैसे कि- बर्गलर / फायर अलार्म अथवा इंटीग्रेटेड अलार्म सिस्टम।

ड) सेंसर की स्थिति: अलार्म सेंसर की सही स्थिति वेंडर को प्रदान किए गए मैप और सर्वेक्षण के पश्चात निर्धारित करें ताकि वे सभी संभावित खतरों को कवर कर सकें।

च) कनेक्टिविटी और टेस्टिंग: वेंडर द्वारा अलार्म सिस्टम को नेटवर्क से कनेक्ट कर उसकी टेस्टिंग करवाएँ ताकि आपातकालीन स्थितियों में यह सही ढंग से काम कर सके। ऑटो डायलर प्रणाली को अलार्म सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करवाना चाहिए जिससे आपातकालीन स्थिति में यह प्रणाली स्टाफ़ को संपर्क कर आगाह कर सके। ऑटो डायलर में स्टाफ़ के प्रविष्ट किए गए मोबाईल नंबर भी अपडेट रखने चाहिए।

कैश केबिन डोर अलार्म

छ) इस प्रणाली में कैश केबिन क्षेत्र में प्रवेश करते ही बज़र सक्रिय होता है और कैशियर को आगाह करता है। इस प्रणाली को स्थापित करना बहुत ही आसान होता है।

बायोमैट्रिक सिस्टम

ज) फिंगरप्रिंट और फेस स्कैनर: बायोमैट्रिक सिस्टम, जैसे कि फिंगरप्रिंट (फेस स्कैनर सहित) उन शाखाओं के स्ट्रांग रूम डोर के ग्रिल गेट पर स्थापित किया जाता है एवं विशेषकर जहाँ लॉकर स्ट्रांग रूम में स्थापित हो। इसके अतिरिक्त करेंसी चेस्ट में भी इसे इंस्टॉल किया जाता है। उनका नए परिसर में भी पुनः इंस्टॉलेशन करवाएँ। ये सिस्टम प्रवेश नियंत्रण को और अधिक सुरक्षित बनाते हैं।

झ) डाटा स्टोरिंग: शाखाएँ सुनिश्चित करें कि बायोमैट्रिक डेटा सुरक्षित रूप से स्टोर किया जा रहा है।

टाईम लॉक सिस्टम

ञ) संवेदनशील शाखाओं में कैश सेफ़/ज्वेल सेफ़ अथवा

स्ट्रांग रूम डोर के ग्रिल गेट पर इसे स्थापित किया जाता है। एक तय अंतराल की अवधि में इस लॉक को बंद रखना सुनिश्चित किया जा सकता है। यह प्रणाली लूट/डकैती जैसी बड़ी अप्रिय घटनाओं में एक सक्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत पर सशक्त रूप से कार्य करती है।

ट) उपर्युक्त सभी प्रणालियाँ यू.पी.एस. सप्लाय से कनेक्ट होनी चाहिए।

ठ) पुनर्स्थापना में केबलिंग सुव्यवस्थित होनी चाहिए। बेतरतीब केबलिंग बड़ी भद्दी देखती है और यदि उनमें भविष्य में फॉल्ट आता है तो उसे ढूँढना भी कठिन होता है।

4. नई परिसर में फायर एक्विटिविशर की उपब्धा:

नई परिसर में शिफ्ट होने से पहले समस्त फायर एक्विटिविशर्स के वैधता की जाँच कर लें। साथ ही यह सुनिश्चित करें की नई परिसर में भी पर्याप्त मात्रा के फायर एक्विटिविशर उपलब्ध रहने चाहिए। शाखा को आंचलिक सुरक्षा अधिकारी की सलाह से सभी फायर एक्विटिविशर्स को नई परिसर में इंस्टॉल करने की जगह निर्धारित करनी चाहिए जिससे आपातकालीन परिस्थिति में वे स्टाफ़ की आसान पहुँच में उपलब्ध हो।

5. सुरक्षा प्रशिक्षण और जागरूकता

(क) कर्मचारियों का प्रशिक्षण

सुरक्षा प्रोटोकॉल: कर्मचारियों को नई शाखा में सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में प्रशिक्षण दें। इसमें आपातकालीन प्रक्रियाएँ, सिक््योरिटी गैजेट्स का उपयोग, और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान शामिल होनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति: आपातकालीन स्थितियों में कर्मचारियों की भूमिका और कार्यों का स्पष्ट निर्देश दें। नियमित जाँच: शाखा के स्टाफ़ सदस्यों द्वारा इन प्रणालियों की नियमित साप्ताहिक/पाक्षिक जाँच होती रहनी चाहिए, जिससे यदि कोई डिफ़ेक्ट हो तो जल्द से जल्द सुधारा जा सके।

(ख) ग्राहक सुरक्षा जागरूकता

ग्राहक को सूचित करें: ग्राहकों को विविध ग्राहक सेवा समितियों और उद्घाटन के दौरान शाखा की नई परिसर में सुविधाओं के बारे में सूचित करें और उन्हें बहुत ही सामान्य एवं बुनियादी सुरक्षा नियमों और सावधानियों के बारे में जागरूक करें।

सुरक्षा कार्यक्रम: इन समितियों के अतिरिक्त अपने पड़ोसियों,

स्थानीय पुलिस/प्रशासन के अधिकारियों/उनके स्टाफ़ से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखें। बाह्य संदिग्ध गतिविधियों के बारे में ध्यान रखने और आगाह करने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

6. स्थानांतरण के बाद शाखा में समूचे सुरक्षा-तंत्र की समीक्षा

सिस्टम की टेस्टिंग: नए स्थान पर सभी सिक््योरिटी गैजेट्स की नियमित टेस्टिंग करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी सिस्टम्स सही ढंग से काम कर रहे हैं।

सुरक्षा निरीक्षण: आंचलिक सुरक्षा अधिकारी एक सुरक्षा निरीक्षण नियोजित कर सकते हैं ताकि सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल और उपायों का पालन सुनिश्चित किया जा सके और कोई भी संभावित खामियाँ, यदि हों, तो उसे तुरंत ठीक किया जा सके।

7. भविष्य की सुरक्षा चुनौतियाँ और समाधान

सुरक्षा संबंधी मामलों में सबसे कपोल कल्पना की जा सकती है कि - सबसे सुरक्षित शाखा वह है, जो न तो कैश रखे और कोई लोन भी नहीं दे। यानि किसी भी प्रकार के वित्तीय व्यवसाय में जोखिम तो हमेशा रहता ही है। शातिर आपराधिक तत्व हमेशा इस होड़ में रहेंगे कि ठगी में और उत्पाती प्रक्रिया में नए और उन्नत संसाधनों/तरीक़े/तकनीक का उपयोग कर अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा सके। परंतु नए/उन्नत तकनीक की जानकारी में अपडेट रहते हुए, मानकों/दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, जागरूकता और आपसी सतर्कता के साथ शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़/पक्का किया जा सकता है।

निष्कर्ष

बैंक परिसर का स्थानांतरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें सुरक्षा को प्राथमिकता देना अनिवार्य होता है। सिक््योरिटी गैजेट्स की सही स्थापना और कर्मचारियों तथा ग्राहकों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल को स्थापित करने से न केवल बैंक की संपत्ति और डेटा की सुरक्षा होती है, बल्कि ग्राहकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। एक सुव्यवस्थित योजना, उचित उपकरणों/गैजेट्स की स्थापना और नियमित समीक्षा के माध्यम से बैंक स्थानांतरण को सुरक्षित और सुगम बनाया जा सकता है। सुरक्षा के इन पहलुओं को समझकर बैंक शाखा अपने नए परिसर में एक सुरक्षित और प्रभावी कार्य वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं।

अंचलों में हिंदी माह 2024 का आयोजन



अहमदाबाद



उज्जैन



गया



तेलंगाना



नवी मुंबई



पुणे



बरिपदा



बर्धमान



भागलपुर



मुंबई उत्तर



लखनऊ



हावड़ा



कानपुर



गुवाहाटी



नई दिल्ली



गोवा



नागपुर



पटना



बोकारो



भुवनेश्वर



वाराणसी



विशाखापत्तनम



हरदोई



अमृतसर



हुबली धारवाड़



इंदौर



कोलकाता



खंडवा



गांधीनगर



चेन्नई



जोधपुर



बारासात



भोपाल



मदुरै



राजकोट



लुधियाना



वड़ोदरा



सिवान



एमडीआई बेलापुर



एसटीसी नोएडा

नई दिल्ली अंचल द्वारा अखिल भारतीय राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन



दिनांक 13 सितंबर 2024 को नई दिल्ली अंचल द्वारा स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय, नोएडा में 'विकसित भारत @ 2047 - हिंदी एवं भारतीय भाषाओं का विकास एवं राजभाषा कार्यान्वयन दशा और दिशा' विषय पर अखिल भारतीय राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में श्री बिश्वजित मिश्र- महाप्रबंधक प्रधान कार्यालय, श्री लोकेश कृष्ण- महाप्रबंधक एफजीएमओ नई दिल्ली, श्री अमित सिंह- आंचलिक प्रबंधक नई दिल्ली, श्री धर्मबीर- उप निदेशक (राजभाषा) डीएफएस, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, सुश्री मऊ मैत्रा- सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा), वक्ता के रूप में पूर्व सचिव, संसदीय राजभाषा समिति डॉ. सत्येंद्र सिंह, पूर्व प्रवक्ता बीएमईएल डॉ. नरेश मोहन एवं देशभर से समस्त अंचलों के राजभाषा अधिकारियों ने भाग लिया।

संगोष्ठी का प्रारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। परिचय के पश्चात् आंचलिक प्रबंधक श्री अमित सिंह जी ने स्वागत संबोधन में नव नियुक्त राजभाषा अधिकारियों का अभिनंदन करते हुए सभी के लिए संगोष्ठी लाभदायक एवं ज्ञानवर्द्धक होने की आशा की। एफजीएमओ नई दिल्ली के फील्ड महाप्रबंधक श्री लोकेश कृष्ण जी ने हिंदी भाषा के महत्व पर चर्चा की और इसे कारोबार विकास के लिए आवश्यक बताया और हिंदी के विश्वभाषा बनने की संभावना जताई। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री स्वयं हिंदी के ब्रांड एंबेसडर हैं जिन्होंने विश्व पटल पर हिंदी का सबसे ज्यादा प्रयोग किया है। महाप्रबंधक श्री बिश्वजित मिश्र ने बैंक ऑफ इंडिया को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और बीओआई द्वारा संचालित नराकास नागपुर को "नराकास सम्मान" प्राप्त करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमें और अच्छा प्रयास करना है जिससे हमारी अन्य नराकास एवं अंचलों को भी राजभाषा पुरस्कार प्राप्त हो। इस दिशा में प्रधान कार्यालय स्तर पर भी हिंदी को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने विकसित भारत के लिए आर्थिक विकास, पर्यावरण स्थिरता, सामाजिक गति, सुशासन के लिए मजबूती से कार्य करने पर बल दिया। अखिल भारतीय संगोष्ठी के वक्ता डॉ. सत्येंद्र सिंह एवं डॉ. नरेश मोहन ने विकसित भारत @ 2047 की परिकल्पना, "हिंदी एवं भारतीय भाषाओं का विकास एवं राजभाषा कार्यान्वयन, दशा एवं दिशा, विषय पर व्याख्यान दिया।"

श्री सत्येंद्र सिंह ने विकसित भारत @ 2047 की परिकल्पना पर अपनी बात रखते हुए कहा कि हमें 2047 में ऐसे विकसित भारत को बनाना होगा जिसमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न की जाए। उन्होंने विकसित भारत हेतु चार चीजों की आवश्यकता पर बल दिया जिसमें आर्थिक विकास, पर्यावरण स्थिरता, स्वास्थ्य, सामाजिक प्रगति एवं सुशासन प्रमुख रहे। उन्होंने बैंक में हिंदी के सफल कार्यान्वयन हेतु सभी बैंकिंग उत्पादों की जानकारी ग्राहकों को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराने की बात कही। संगोष्ठी के दूसरे प्रमुख वक्ता डॉ. नरेश मोहन ने अपने संबोधन में भारत की विभिन्न बोलियों एवं भाषाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भारत बहुभाषी देश है जहां 1652 भाषाएं एवं बोलियां हैं। उन्होंने कहा भाषा का संप्रेषण कई तरीके से होता है, जैसे बोलकर, लिखकर, सुनकर और संकेतों के द्वारा। इस प्रकार उन्होंने भाषा के विभिन्न रूपों पर चर्चा की। साथ ही भाषा के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्षों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मौन, नज़र और प्रतीकों की भी एक भाषा होती है। उन्होंने भाषा की शक्ति के विषय में बताया और राजभाषा हिंदी के विकास के लिए किए गए इस कार्यक्रम की सराहना भी की। कार्यक्रम के अंत में श्री सरताज शकील, मुख्य प्रबंधक राजभाषा ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।



हिंदी दिवस एवं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन



हिंदी दिवस एवं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 में दिनांक 15 सितम्बर 2024 को वर्ष 2023-24 के लिए राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान हेतु नराकास (बैंक), नागपुर को ख क्षेत्र में नराकास राजभाषा सम्मान माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी के कर-कमलों से प्रदान किया गया। पुरस्कार प्राप्त करते हुए नराकास अध्यक्ष एवं आंचलिक प्रबंधक महोदय श्री जय नारायण एवं सदस्य सचिव एवं मुख्य प्रबंधक राजभाषा श्री राजीव कुमार।

दो दिवसीय संगोष्ठी / समीक्षा बैठक



चंडीगढ़ में भारत सरकार वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्थान की श्रेणी में बैंक ऑफ इंडिया को (प्रोत्साहन) पुरस्कार प्रदान किया।

प्रधान कार्यालय में हिंदी दिवस पर हास्य कवि सम्मेलन एवं हिंदी माह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन



बीओआई



निर्बाध
बैंकिंग.
स्मार्ट
लिविंग.



बीओआई मोबाइल ओमनी नियो बैंक ऐप



आसान खाता
प्रबंधन



24x7 फंड
ट्रांसफर



सावधि जमा / एसबी
खाता ऑनलाइन खोलें



म्यूचुअल फंड / आईपीओ /
गोल्ड बॉन्ड में निवेश करें



जीवन और स्वास्थ्य
बीमा खरीदें

एंड्रॉइड और आईओएस के लिए
बीओआई मोबाइल ओमनी नियो
बैंक ऐप डाउनलोड करें



बैंक ऑफ़ इंडिया



स्थितियों की जमापूँजी